BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

EXECUTION APPLICATION NO. 40 OF 2024

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 486 OF 2024

WITH

MISCELLANEOUS APPLICATION NO. 136 OF 2024

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 486 OF 2024

IN THE MATTER OF:

SUDDU …………APPLICANT

VERSUS

MINISTRY OF ENVIRONMENT
FOREST AND CHANGE & ORS. ……..RESPONDENT(s)

INDEX

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPLY ON BEHALF OF THE DIVISIONAL FOREST OFFICER, GORAKHPUR, U.P. IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 12.12.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
	ANNEXURES	

2.	**COPY OF THE REPORT DT. 21.08.2024 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-1**	
3.	**COPY OF THE REVENUE RECORDS ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-2**	
4.	**COPY OF THE NOTIFICATION DT. 07.01.2020 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-3**	
5.	**COPY OF THE H2 CASE NO. 04/2023-24 DT. 22.07.2023 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-4**	
6.	**COPY OF THE LETTER DT. 28.07.2023 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-5**	
7.	**COPY OF THE E-3 NO. 1309/29 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-6**	
8.	**COPY OF THE APPLICATION FOR PERMISSION DT. 01.10.2023 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-7.**	
9.	**COPY OF THE AFFIDAVIT DT. 30.09.2023 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-8**	
10.	**COPY OF THE SUPERINTENDENT REPORT DT. 09.10.2023 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-9**	
11.	**COPY OF THE LETTER DT. 18.10.2023 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-10**	
12.	**COPY OF THE NSC DT. 20.10.2023 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-11**	
13.	**COPY OF THE PERMIT DT. 25.10.2023 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-12**	

14.	**COPY OF THE H2 CASE NO. 09/23-24 DT. 13.11.2023 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-13**	
15.	**COPY OF THE LETTER DT. 23.03.2024 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-14**	
16.	**COPY OF THE E-3 NO. 13095/65 DT. 04.04.2024 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-15**	
17.	**COPY OF THE LETTER DT. 14.05.2024 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-16**	
18.	**COPY OF THE LETTERS DT. 16.05.2024 AND 25.06.2024 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-17**	
19.	**COPY OF THE REPORT DT. 25.07.2024 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-18**	
20.	**COPY OF THE AFFIDAVIT DT. 07.04.2025 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-19**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL OF STATE OF UTTAR PRADESH
EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com
Ph: 9639286572

DATE: 08.04.2025
PLACE: GORAKHPUR

Jitendra Nath Tripathi
NOTARY

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
EXECUTION APPLICATION NO. 40 OF 2024
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 486 OF 2024
WITH

NOTARY
JITENDRA NATH TRIPATHI
DISTIC COURT (GKP.)
Reg. No.-37/00/1998
GOVT. OF UTTAR PRADESH (INDIA)

MISCELLANEOUS APPLICATION NO. 136 OF 2024
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 486 OF 2024

Jitendra Nath Tripathi
NOTARY
District Court, Gkp.

IN THE MATTER OF:

SUDDU ....**APPLICANT**

VERSUS

MINISTRY OF ENVIRONMENT
FOREST AND CLIMATE CHANGE & ORS. ....**RESPONDENT(s)**

REPLY ON BEHALF OF DIVISIONAL FOREST OFFICER, GORAKHPUR, U.P. IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 12.12.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH NEW DELHI

I, Vikas Yadav........ aged about 40.. years S/o Ashok Babu yadav, presently posted as Divisional Forest Officer, Gorakhpur, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

Jitendra Nath Tripathi
NOTARY
District Court, Gkp.

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present report.

2. That I state that the contents of the reply have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

3. That the in the present matter, the issue is with respect to illegal cutting of 75 fruit bearing guava trees on a land situated at Araji No. 619, Khata No. 716, near Chandra Petrol Pump, Sonoli Road, Tehsil Sadar, District Gorakhpur, U.P.

4. That the original application in the above captioned matter was disposed of vide order dt. 26.04.2024 passed by this Hon'ble Tribunal. That the relevant portion of the order dt. 26.04.2024 has been reproduced herein for ready reference:

"3. To ascertain the truthfulness of the allegations and also for appropriate action, we direct the Divisional Forest Officer, Gorakhpur to get the factual report and take action against the violators, if required, after duly following the principles of natural justice. The action taken report will be submitted by the DFO, Gorakhpur before the Registrar General of the Tribunal within four months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed before the Bench for consideration."

NOTARY
JITENDRA NATH TRIPATHI
DISTIC COURT (GKP.)
Reg. No.-37/00/1998
GOVT. OF UTTAR PRADESH (INDIA)

Jitendra Nath Tripathi
NOTARY
District Court, Gkp.

I. SUBMISSION OF AN ACTION TAKEN REPORT

That in compliance with the order dated 26.04.2024, an Action Taken Report dated 21.08.2024 was submitted to the Hon'ble Tribunal, prepared with due diligence and good faith.

A Copy of the report dt. 21.08.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-1.**

5. That subsequently, an Execution Application was filed by the Applicant seeking compliance of the aforementioned order dt. 26.04.2024.

6. That the matter was last listed for hearing on 12.12.2024, wherein the Hon'ble Tribunal directed the Deponent to file his response.

7. That in compliance of the aforementioned directions, the response on behalf of the Deponent is herein as under.

II. CHRONOLOGY OF EVENTS AND ACTIONS TAKEN AS PER THE ACTION TAKEN REPORT DT. 26.04.2024:

8. **Illegal Felling of Prohibited Mango Tree on 22.07.2023:**
   i. That on 22.07.2023, the Range Forest Officer, Gorakhpur, carried out inspection of the site and discovered that a mango tree, categorized as a non-permitted species under the U.P. Government Gazette Notification dated 07.01.2020, had been illegally felled.
   ii. Accordingly, H2 Case No. 04/2023-24 was registered on the same date under Sections 4 and 10 of the U.P. Tree Protection Act, 1976. A Copy of the revenue records have been annexed herewith as **ANNEXURE A-2.**

NOTARY
JITENDRA NATH TRIPATHI
DISTIC COURT (GKP.)
Reg. No.-37/00/1998
GOVT. OF UTTAR PRADESH (INDIA)

Jitendra Nath Tripathi
NOTARY
District Court, Gkp.

Copy of the notification dt. 07.01.2020 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-3.**

Copy of the H2 Case No. 04/2023-24 dt. 22.07.2023 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-4.**

9. **Request for Compounding:**

That the offender vide letter dt. 28.07.2023, has accepted that the illegal felling of a mango tree has happened at the said site in question and has requested the Deponent to allow him to deposit the applicable penalty and to compound the matter accordingly.

A Copy of the letter dt. 28.07.2023 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-5.**

10. **Penalty and Compliance by Offender:**

That following due process, the Forest Department imposed a penalty of Rs. 7,000/- (Rupees Seven Thousand Only) upon Mr. Mehboob Saeed, which was deposited by the offender vide E-3 Receipt No. 1309/29 dated 01.08.2023.

A Copy of the E-3 No. 1309/29 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-6.**

11. **Application for Felling of Additional Trees:**

That on 01.10.2023, Mr. Mehboob Saeed submitted an application seeking permission for the felling of 5 trees, namely:

- Bel -1,
- Sagwan (Teak)- 1, and
- Mango- 3.

Copy of the application for permission dt. 01.10.2023 has been aanexed herewith as **ANNEXURE A-7.**

NOTARY JITENDRA NATH TRIPATHI DISTIC COURT (GKP.) Reg. No.-37/00/1998 GOVT. OF UTTAR PRADESH (INDIA)

Jitendra Nath Tripathi
NOTARY
District Court, Gkp.

12.**Affidavit Submitted by Land Owner**:

That with respect to the aforementioned application for permission, Mr. Mehboob Saeed submitted an affidavit dated 30.09.2023 affirming ownership of the land and undertaking not to cut any trees beyond the permitted number.

A Copy of the affidavit dt. 30.09.2023 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-8.**

13.**Report by Superintendent, Horticulture Department:**

That an inspection was conducted by the Superintendent, State Garden, Gorakhpur, who submitted a report dated 09.10.2023. That the said report recorded that the trees proposed for felling were 60-65 years old, dry, and in a deteriorated condition.

A Copy of the Superintendent Report dt. 09.10.2023 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-9.**

14.**Conditions Imposed Prior to Grant of Felling Permit:**

That a letter dt. 18.10.2023 was written by the Divisional Forest Officer to the Post Master, Head Post Office/ Labour Camp, Gorakhpur. That the said letter states that the owner must follow the conditions as under:

- Deposit a security amount of Rs. 5,000/- (Rupees Five Thousand Only) in the name/designation of the undersigned. The security amount shall be deposited in the form of a 5-year National Savings Certificate (NSC) or Savings Account which shall be mortgaged with the Forest Department.
- For each tree felled, ten trees must be planted. The security amount will be refunded only after the planted trees have completed six years of age.

NOTARY JITENDRA NATH TRIPATHI DISTIC COURT (GKP.) Reg. No.-37/00/1998 GOVT. OF UTTAR PRADESH (INDIA)

Jitendra Nath Tripathi
NOTARY
District Court, Gkp.

NOTARY JITENDRA NATH TRIPATHI DISTIC COURT (GKP.) Reg. No.-37/00/1998 GOVT. OF UTTAR PRADESH (INDIA)

- In case of any ownership dispute arising during the felling of trees, the department shall not be held responsible and the permit will be considered automatically cancelled.

A Copy of the letter dt. 18.10.2023 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-10.**

15.**Issuance of Felling Permit:**

That an NSC dt. 20.10.2023 was issued in favour of the land owner for the said security deposit of Rs. 5,000/- (Rupees Five Thousand Only). Thereafter, a felling permit No. 6587240 dated 25.10.2023 was issued by the Forest Department for felling the five trees (Bel-1, Sagwan-1, and Mango-3) situated at the said site.

A Copy of the NSC dt. 20.10.2023 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-11.**

A Copy of the permit dt. 25.10.2023 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-12.**

16.**Registration of Second H2 Case:**

That furthermore the Forest Department received an information with respect to the felling of additional 5 trees including 2 Mangoes, 2 Teak and 1 Neem at the said site. That all these trees are of prohibited species as per the Gazette of Government of Uttar Pradesh, Notification dt. 07.01.2020. That subsequently, an **H2 Case No. 09/23-24 dt. 13.11.2023** was registered against the owner under Section 4/10 of the U.P. Tree Protection Act, 1976 and Section 3/28 of the Transportation Rules, 1978.

A Copy of the H2 Case No. 09/23-24 dt. 13.11.2023 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-13.**

Jitendra Nath Tripathi
NOTARY
District Court, Gkp. 01-4-25

17.**Request for Compounding:**

That the offender, vide letter dated 23.03.2024, has admitted that during the permitted felling of 5 trees on his private land, additional five trees namely, 2 mango trees, 2 teak trees, and 1 neem tree—were inadvertently felled by the labourers engaged by him. The offender has taken responsibility for the unauthorized felling and has requested the Deponent to allow him to deposit the applicable penalty and compound the matter.

A Copy of the letter dt. 23.03.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-14.**

18.**Imposition of Further Penalty:**

That subsequently, a penalty of amount of Rs. 7000/- per tree was imposed on the accused under Section 15 of the U.P Tree Protection Act, 1976 and subsequently an amount of Rs. 35,000/- was deposited to the Regional Forest Officer, Headquarters through E-3 No. 13095/65 dated 04.04.2024 and was deposited in the State Treasury.

A Copy of E-3 No. 13095/65 dated 04.04.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-15.**

19.**Constitution of Inquiry Committee:**

A Committee was constituted by the Deponent vide letter dt. 14.05.2024. That the said committee constituted as under:

- Dr. Harendra Singh, Deputy Divisional Forest Officer, Gorakhpur – Chairman
- Santosh Kumar Pandey, Regional Forest Officer, Khajni
- Akhilesh Tiwari, Regional Forest Officer, Sahjanwa

A Copy of the letter dt. 14.05.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-16.**

NOTARY
JITENDRA NATH TRIPATHI
DISTIC COURT (GKP.)
Reg. No.-37/00/1998
GOVT. OF UTTAR PRADESH (INDIA)

Jitendra Nath Tripathi
NOTARY
District Court, Gkp.

20. **Applicant's Non-Cooperation:**

That the Deputy Divisional Officer has written letters dt. 16.05.2024 and 25.06.2024 to the Applicant to be present at the site in question alongwith relevant documents to assist in the investigation on 24.05.2024 and 03.07.2024. That the Applicant failed to appear for the said inspection and therefore the committee proceeded with available records and site inspections. This reflects the Applicant's non-cooperation in the present matter.

Copies of the letters dt. 16.05.2024 and 25.06.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-17.**

21. **Inspection by Committee on 25.07.2024:**

That the investigation of the said site in question was carried out by the committee on 25.07.2024. That during the said inspection, it was observed that the offender under the garb of the permitted 5 trees has illegally felled additional 5 trees including 2 Mangoes, 2 Teak and 1 Neem. That all these trees are of prohibited species as per the Gazette of Government of Uttar Pradesh, Notification dt. 07.01.2020. That certain number of guava trees were also found to be felled at the said site, however, no action was required against the felling of guava trees, as they are not prohibited under the 07.01.2020 Gazette of U.P. notification.

Copy of the report dt. 25.07.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-18.**

22. **Acceptance and Deposition of Penalty:**

That it is to be submitted here that the offender, Mr. Mehboob Saeed, vide affidavit dt. 07.04.2025 has admitted that the illegal felling of trees was done by him and he has deposited the amount of the penalty imposed.

NOTARY JITENDRA NATH TRIPATHI DISTIC COURT (GKP.) Reg. No.-37/00/1998 GOVT. OF UTTAR PRADESH (INDIA)

Jitendra Nath Tripathi
NOTARY
District Court, Gkp.

A Copy of the affidavit dt. 07.04.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-19.**

20. That all the required actions have been duly taken by the Forest Department, including initiation of H2 cases, imposition of penalties, and compounding of offenses. Therefore, it is most respectfully prayed to this Hon'ble Tribunal to dismiss the Execution Application filed by the applicant.

21. Hence, the affidavit is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

22. That I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY
JITENDRA NATH TRIPATHI
DISTIC COURT (GKP.)
Reg. No.-37/00/1998
GOVT. OF UTTAR PRADESH (INDIA)

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Gorakhpur on this 08 day of April, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 22 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Jitendra Nath Tripathi
NOTARY
District Court, Gkp.
8-4-25

DEPONENT

Identified by A.K. Tripathi Adv 8.4.2025

NOTARY
JITENDRA NATH TRIPATHI
DISTIC COURT (GKP.)
Reg. No.-37/00/1998
GOVT. OF UTTAR PRADESH (INDIA)

Identified by AK Tripathi Adv

Sl. Number....16..........Date..........

Solemarly affirmed before me on..........

at... 11-12 Am by Shri/Smt.... Vikas .... yadav ....

I have certified myself by examining the deponent that he/She understoods the contants of this affidavit which has been readover and explained by me.... AKTripathi

Jitendra Nath Tripathi
NOTARY, Distic Court Gkp.

ANNEXURE A-1 संलग्नक 01

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर, वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक ७९५ / 10–1 दिनांक, गोरखपुर, अगस्त, २१ / 2024

सेवा में,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रधान पीठ, नई दिल्ली।

विषयः– National Green Tribunal Principal Bench New Delhi में योजित Original Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of Environment Forest And Climate Change में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के सम्बन्ध में जांच रिर्पोट।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा आदेश दिनांक 26.04.2024 पारित किया गया है किः–

"............3. To ascertain the truthfulness of the allegations and also for appropriate action, we direct the Divisional Forest Officer, Gorakhpur to 2 get the factual report and take action against the violators, if required, after duly following the principles of natural justice. The action taken report will be submitted by the DFO, Gorakhpur before the Registrar General of the Tribunal within four months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed before the Bench for consideration........."

अतः उपरोक्त के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त प्रकरण की जांच कर जॉच रिर्पोट संलग्न कर सादर सूचनार्थ आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विकास यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर, वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक 736/10–1 दिनांक, गोरखपुर, अगस्त, 16/2024

National Green Tribunal Principal Bench New Delhi में योजित Original Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of Environment Forest And Climate Change में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के सम्बन्ध में जांच आख्या

याची सुड्डू (Suddu) द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Original Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of Environment Forest And Climate Change में राष्ट्रीय हरित अधिकरण,प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 26.04.2024 को आदेश पारित किया गया है, (संलग्नक–1) जिसके अंश निम्नवत है –

"...............In this original application, grievance of the Applicant is that there was a garden in two acres of land at Araji No. 619, Khata No. 716 situated at Chandra Petrol Pump, Sonoli Road, Police Station Gorakhnath, Tehsil Sadar, District Gorakhpur, Uttar Pradesh. It is alleged that the legal heirs of the original owner had entered into an agreement with a builder Vikas Kejriwal and the legal heirs along with builder in collusion with the Officers of the Forest Department and Police Officers have cut the fruit bearing green trees illegally and when the Applicant had tried to resist, he and his family members were harassed. It is further alleged that 75 fruit bearing guava trees were illegally destroyed/cut by using bulldozer on 28.03.2024 and a complaint was made to the authorities but no action has been taken. Along with OA, photographs of trees which were cut have been enclosed.

2. The OA raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms.

3. To ascertain the truthfulness of the allegations and also for appropriate action, we direct the Divisional Forest Officer, Gorakhpur to 2 get the factual report and take action against the violators, if required, after duly following the principles of natural justice. The action taken report will be submitted by the DFO, Gorakhpur before the Registrar General of the Tribunal within four months by e-

mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed before the Bench for consideration........"

राष्ट्रीय हरित अधिकरण,प्रधान पीठ, नई दिल्लीं द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 26.04.2024 के क्रम में प्रकरण की जांच हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक 5524/10–1 दिनांक 14.05.2024 द्वारा समिति की गठन किया गया है, (संलग्नक–2) समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य निम्न प्रकार है–

1– सर्व श्री डॉ0 हरेन्द्र सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर – अध्यक्ष

2– संतोष कुमार पाण्डेय, क्षेत्रीय वनाधिकारी, खजनी – सदस्य

3– अखिलेश तिवारी, क्षेत्रीय वनाधिकारी, सहजनवां – सदस्य

समिति द्वारा प्रकरण की जांच के समय शिकायतकर्ता श्री मेराज अहमद उर्फ सुड्डू, मोहल्ला–लच्छीपुर खास, पोस्ट व थाना–गोरखनाथ, जिला–गोरखपुर, पिनकोड–273015 को दिनांक 24.05.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे गोरखपुर–सोनौली मार्ग पर स्थित चन्द्रा पेट्रोल पम्प के पास स्थित आराजी संख्या–619, ग्राम–लच्छीपुर, तहसील–सदर, थाना–गोरखनाथ, जिला–गोरखपुर में शिकायत से सम्बन्धित साक्ष्य/अभिलेखों सहित उपस्थित होकर जांच में सहयोग प्रदान करने हेतु उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर (अध्यक्ष) अपने कार्यालय पत्रांक–754/10–1 दिनांक 16.05.2024 से स्पीड पोस्ट दिनांक 18.05.2024 से सूचित किया गया **(संलग्नक–3)**। शिकायतकर्ता श्री मेराज अहमद उर्फ सुड्डू, दिनांक 24.05.2024 को उपस्थित नही हुए, शिकायतकर्ता श्री मेराज अहमद उर्फ सुड्डू को पुनः जांच मे सहयोग करने हेतु दिनांक 03.07.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे उपस्थित होने हेतु उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर (अध्यक्ष) अपने कार्यालय पत्रांक–868/10–1 दिनांक 25.06.2024 से स्पीड पोस्ठ दिनांक 26.06.2024 से उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया **(संलग्नक–4)**। लेकिन श्री मेराज अहमद उर्फ सुड्डू, जांच के समय उपस्थित नही हुए।

समिति द्वारा प्रकरण की जांच करने हेतु मौके पर स्थलीय निरीक्षण एवं प्रकरण की जांच दिनांक 24.05.2024 एवं 03.07.2024 को किया गया, एवं प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण मुख्यालय रेंज में उपलब्ध साक्ष्यों एवं दस्तावेजों से किया गया जिसमें यह पाया गया कि –

श्री महबूब सईद पुत्र स्व0हामिद अली, ग्राम– छोटे काजीपुर, थाना–कोतवाली, तहसील–सदर, जिला गोरखपुर द्वारा सोनौली मार्ग पर चन्द्रा पेट्रोल पम्प के पास आराजी संख्या–619,ग्राम लच्छीपुर, तहसील–सदर, थाना–गोरखनाथ, जिला –गोरखपुर की भूमि पर एक वृक्ष आम का अवैध पातन दिनांक 22.07.2023 को किया गया, जिसके विरूद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–04/10 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज द्वारा रेंज केस संख्या–04/2023–24 दिनांक 22.07.2023 पंजीकृत किया गया(संलग्नक–5) । उक्त प्रकरण में क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुख्यालय द्वारा ई–3 संख्या 13095/29

दिनांक 01.08.2023 से मु0–7000/– प्रतिकर की धनराशि प्राप्त कर राजकीय कोष में जमा किया गया है **(संलग्नक–6)**।

श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली द्वारा आराजी संख्या–619 ग्राम लच्छीपुर, तहसील–सदर, थाना–गोरखनाथ, जिला –गोरखपुर में स्थित बेल–01, सागौन–01 एवं आम–03, कुल–05 वृक्षों को कटवाने के लिए पातन परमिट हेतु विभाग को आवेदन किया गया था **(संलग्नक–7)** । उक्त आवेदन के सम्बन्ध में फलदार वृक्षों के फलदायी क्षमता की जांच हेतु क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुख्यालय रेंज के पत्रांक 68/31–1 दिनांक 01.10.2023 के द्वारा अधीक्षक, राजकीय उद्यान, गोरखपुर को पत्र लिखकर जांच करायी गयी। **(संलग्नक–8)** तदोपरान्त अधीक्षक, राजकीय उद्यान, गोरखपुर ने अपने पत्रांक 1291/फलदायी क्षमता/2023–24/ दिनांक 09.10.2023 द्वारा फलदार वृक्षो के फलदायी क्षमता/जांच रिपोर्ट प्रेषित किया गया, **(संलग्नक–9)** जिसमें यह उल्लिखित किया है कि उक्त आराजी में स्थित वृक्षों की आयु लगभग 60–65 वर्ष है, जो सुखे, रोगग्रस्त हरे खड़े है, वृक्षों की स्थिति जीर्ण –शीर्ण अवस्था में है। जिसे देखने प्रतीत होता है कि वृक्षों में फलदायी क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है। तदोपरांत श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली द्वारा आराजी संख्या–619 में स्थित बेल–01, सागौन–01 एवं आम–03, कुल–05 वृक्षों को कटवाने के लिए विभाग से पातन परमिट सं0 6587240 दिनांक 25.10.2023 जारी गया है **(संलग्नक–10)**।

जारी किये गये उक्त पातन परमिट में कटान हेतु अनुमति दिए गए वृक्षों के अतिरिक्त आम–02, सागौन–02 व नीम–01, कुल–05 वृक्षों का अवैध पातन किया गया, जिसके विरूद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–4/10 एवं अभिवहन नियमावली 1978 की धारा 03/28 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज द्वारा रेंज केस संख्या–09/2023–24 दिनांक 13.11.2023 पंजीकृत किया गया है **(संलग्नक–11)**. और क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुख्यालय द्वारा ई–3 संख्या 13095/65 दिनांक 04.04.2024 से मु0–35000/– प्रतिकर की धनराशि प्राप्त कर राजकीय कोष में जमा किया गया है।**(संलग्नक–12)**

शिकायतकर्ता मेराज अहमद उर्फ सुड्डू द्वारा उ0प्र0 सरकार के जन सुनवायी पोर्टल पर शिकायत सं0 40018823042313 द्वारा शिकायत की गयी, **(संलग्नक–13)** जिसके सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक मेमो/16एफ–16 ए (जनसुनवायी) दिनांक 29.11.2023 द्वारा उक्त शिकायत का निस्तारण किया गया है **(संलग्नक–14)** । जिसके मुख्य अंश निम्न प्रकार है:–

श्री मेराज अहमद जी के शिकायती पत्र की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय से कराया गया। क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुख्यालय ने अपने पत्रांक–105/31–1 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदक श्री मेराज अहमद द्वारा अपने आवेदन में गोरखपुर सोनौली मार्ग पर चन्द्रा पेट्रोल पम्प स्थित स्व0 हामिद अली पुत्र स्व0 साजिद अली के बाग में अवैध पातन के सम्बन्ध में शिकायत किया गया है, जांच के क्रम में मौके की जांच किया गया, इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि उक्त स्थल पर एक वृक्ष आम का अवैध पातन हुआ था, जिसके विरूद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–04/10 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज ने रेंज केस संख्या–04/2023–24 दिनांक 22.07.2023 पंजीकृत हुआ है।

श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली द्वारा आराजी संख्या–619 में स्थित वृक्षों में से बेल–01, सागौन–01 एवं आम–03, कुल–05 वृक्षों को कटवाने के लिए पातन परमिट हेतु आवेदन किया गया, फलदार वृक्षों के फलदायी क्षमता के सम्बन्ध में अधीक्षक, राजकीय उद्यान, गोरखपुर द्वारा जांच करायी गयी है, जांचोपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक–1730/37–1 दिनांक 31.10.2023 द्वारा आवेदित 05 वृक्षों को कटवाने हेतु आन लाइन परमिट संख्या–6587240 जारी किया गया।

परमिट धारक द्वारा पातन परमिट में अनुमति दिए गए वृक्षों के अतिरिक्त आम–02, सागौन–02 व नीम–01, कुल–05 वृक्षों का अवैध पातन कराया गया जिसके विरूद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–4/10 एवं 03/28 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज ने रेंज केस संख्या–09/2023–24 दिनांक 13.11.2023 पंजीकृत किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण में विभिन्न प्रजाति के 05 वृक्षों को कटवाने हेतु पातन परमिट निर्गत किया गया है एवं 06 वृक्षों के अवैध पातन पाए जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी है। भूमि में स्थित वृक्षों की पुष्टि हेतु राजस्व विभाग, द्वारा खसरा निर्गत किया गया है। उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट, उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5–संख्या–24/81–5–2020–07–93 लखनऊ 07–जनवरी–2020 (संलग्नक–15) में उल्लिखित निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु भूमि स्वामी के स्तर से आवेदन प्राप्त होने पर जांचोपरान्त पातन परमिट जारी किया जाता है या उक्त प्रतिबन्धित प्रजाति के वृक्षों के अवैध पातन होने पर विधिक कार्यवाही की जाती है। शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु छूट प्रदान किया गया है। शिकायती पत्र में वर्णित अमरूद, लीची, पंजाला, शरीफा, नारियल, चीकू एवं कटहल प्रजाति का वृक्ष उपरोक्त शासनादेश में प्रतिबन्धित श्रेणी में अंकित नही है अर्थात छूट प्रजाति का वृक्ष है।

पुनः शिकायतकर्ता द्वारा मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार को दिनांक 02.11.2023 को, एवं मा0 मंत्री वन एवं पर्यावरण , भारत सरकार, नई दिल्ली को दिनांक 29.12.2023 को पत्र के माध्यम से शिकायत किया गया है (संलग्नक–16) । उक्त शिकायत का निस्तारण किया गया (संलग्नक–17) जिसके मुख्य अंश निम्न प्रकार है:–

निवेदन है कि श्री मेराज अहमद का शिकायती पत्र दिनांक 02.11.2023 उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा जाचं हेतु अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में गोरखपुर सोनौली मार्ग पर चन्द्रा पेट्रोल पम्प के पास स्थित स्व0 हामिद अली पुत्र स्व0 साजिद अली के बाग में अवैध पातन के सम्बन्ध में शिकायत किया गया है। चूँकि प्रकरण मुख्यालय रेंज गोरखपुर से सम्बन्धित है इसलिये प्रकरण की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय से करायी गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय ने अपने पत्रांक–200/31–1 दिनांक 24.03.2024 द्वारा अपनी जांच आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराया

गया है। (प्रति संलग्न है।) अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त आख्या का परीक्षण किया गया। जांच आख्या निम्न प्रकार है:–

इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि उक्त स्थल पर एक वृक्ष आम का अवैध पातन हुआ था, जिसके विरूद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–04/10 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज ने रेंज केस संख्या–04/2023–24 दिनांक 22.07.2023 पंजीकृत हुआ है।

श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली द्वारा आराजी संख्या–619 में स्थित बेल–01, सागौन–01 एवं आम–03, कुल–05 वृक्षों को कटवाने के लिए पातन परमिट हेतु आवेदन किया गया, फलदार वृक्षों के फलदायी क्षमता के सम्बन्ध में अधीक्षक, राजकीय उद्यान, गोरखपुर द्वारा जांच करायी गयी है, जांचोपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक–1730/37–1 दिनांक 31.10.2023 द्वारा आवेदित 05 वृक्षों को कटवाने हेतु आन लाइन परमिट संख्या–6587240 जारी किया गया।

परमिट धारक द्वारा पातन परमिट में अनुमति दिए गए वृक्षों के अतिरिक्त आम–02, सागौन–02 व नीम–01, कुल–05 वृक्षों का अवैध पातन कराया गया जिसके विरूद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–4/10 एवं अभिवहन नियमावली 1978 की धारा 03/28 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज ने रेंज केस संख्या–09/2023–24 दिनांक 13.11.2023 पंजीकृत किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण में विभिन्न प्रजाति के 05 वृक्षों को कटवाने हेतु पातन परमिट निर्गत किया गया है एवं 06 वृक्षों के अवैध पातन पाए जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी है। भूमि में स्थित वृक्षों की पुष्टि हेतु राजस्व विभाग, द्वारा खसरा निर्गत किया गया है। उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट, उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5–संख्या–24/81–5–2020–07–93 लखनऊ 07–जनवरी–2020 में उल्लिखित निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु भूमि स्वामी के स्तर से आवेदन प्राप्त होने पर जांचोपरान्त पातन परमिट जारी किया जाता है या उक्त प्रतिबन्धित प्रजाति के वृक्षों के अवैध पातन होने पर विधिक कार्यवाही की जाती है। शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु छूट प्रदान किया गया है। शिकायती पत्र में वर्णित अमरूद, लीची, पंजाला, शरीफा, नारियल, चीकू एवं कटहल प्रजाति का वृक्ष उपरोक्त शासनादेश में प्रतिबन्धित श्रेणी में अंकित नही है अर्थात छूट प्रजाति का वृक्ष है। उपरोक्त शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु अनुमति लेने की आवश्यकता नही है।

शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में उल्लेख किया गया है कि खसरा में चार फरीक है। लेकिन वन विभाग द्वारा एक व्यक्ति के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा यह कहना कि शेष तीन फरीक के नाम से मुकदमा पंजीकृत किया जाय। इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि उक्त स्थल पर एक वृक्ष आम का अवैध पातन पाये जाने पर मुख्यालय रेंज के अन्तर्गत रेंज केस संख्या–04/2023–24 दिनांक 22.07.2023 पंजीकृत हुआ है। चूँकि श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली के आवेदन पर विभिन्न प्रजाति के पांच वृक्षों को कटवाने हेतु पातन परमिट जारी किया गया हैं अनुमति दिये गये पांच वृक्षों के अतिरिक्त विभिन्न प्रजाति के पांच वृक्षों का अवैध पातन परमिट धारक श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली द्वारा कराया गया। इस लिये परमिट धारक के नाम से रेंज केस संख्या–09/2023–24 दिनांक 13.11.2023 पंजीकृत किया गया है।

समिति की जाँच में पाया गया कि उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट, उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5–संख्या–24/81–5–2020–07–93 लखनऊ 07–जनवरी–2020 में उल्लिखित निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु भूमि स्वामी के स्तर से आवेदन प्राप्त होने पर जांचोपरान्त पातन परमिट जारी किया जाता है अथवा उक्त प्रतिबन्धित प्रजाति के वृक्षों के अवैध पातन होने पर विधिक कार्यवाही की जाती है। शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु छूट प्रदान किया गया है। छूट प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

उक्त आराजी सं0 619 में स्थित वृक्षों के लिये ली गयी पातन परमिट के अतिरिक्त अवैध काटे गये वृक्षों के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की गयी है। अतः समिति की जांच आख्या प्रेषित है।

जांच आख्या

उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट, उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5–संख्या–24/81–5–2020–07–93 लखनऊ 07–जनवरी–2020 में उल्लिखित निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु भूमि स्वामी के स्तर से आवेदन प्राप्त होने पर जांचोपरान्त पातन परमिट जारी किया जाता है अथवा उक्त प्रतिबन्धित प्रजाति के वृक्षों के अवैध पातन होने पर विधिक कार्यवाही की जाती है। शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु छूट प्रदान किया गया है। छूट प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

उक्त आराजी सं0 619 में स्थित वृक्षों के लिये ली गयी पातन परमिट के अतिरिक्त अवैध काटे गये वृक्षों के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की गयी है।

भवदीय

(विकास यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

संलग्नक -01

Item No. 06 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 486/2024

Suddu Applicant

Versus

Ministry of Environment Forest and Climate Change Respondent

Date of hearing: 26.04.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

ORDER

1. In this original application, grievance of the Applicant is that there was a garden in two acres of land at Araji No. 619, Khata No. 716 situated at Chandra Petrol Pump, Sonoli Road, Police Station Gorakhnath, Tehsil Sadar, District Gorakhpur, Uttar Pradesh. It is alleged that the legal heirs of the original owner had entered into an agreement with a builder Vikas Kejriwal and the legal heirs along with builder in collusion with the Officers of the Forest Department and Police Officers have cut the fruit bearing green trees illegally and when the Applicant had tried to resist, he and his family members were harassed. It is further alleged that 75 fruit bearing guava trees were illegally destroyed/cut by using bulldozer on 28.03.2024 and a complaint was made to the authorities but no action has been taken. Along with OA, photographs of trees which were cut have been enclosed.

2. The OA raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms.

3. To ascertain the truthfulness of the allegations and also for

get the factual report and take action against the violators, if required, after duly following the principles of natural justice. The action taken report will be submitted by the DFO, Gorakhpur before the Registrar General of the Tribunal within four months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed before the Bench for consideration.

4. The OA is accordingly disposed of.

5. A copy of this order be forwarded to the Divisional Forest Officer, Gorakhpur by e-mail for compliance.

Prakash Shrivastava, CP

Dr. A. Senthil Vel, EM

April 26, 2024
Original Application No. 486/2024
DV

संलग्नक 02

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक 5525/10–1 दिनांक, गोरखपुर, मई 15 /2024

Before the national Green Tribunal Principal Bench New Delhi में योजित Original Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of Environment Forest And Climate Change में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के सम्बन्ध में प्रकरण की जांच करने हेतु समिति का गठन

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of Environment Forest And Climate Change में आदेश दिनांक 26.04.2024 पारित किया गया है, जो निम्न प्रकार है–

"..............In this original application, grievance of the Applicant is that there was a garden in two acres of land at Araji No. 619, Khata No. 716 situated at Chandra Petrol Pump, Sonoli Road, Police Station Gorakhnath, Tehsil Sadar, District Gorakhpur, Uttar Pradesh. It is alleged that the legal heirs of the original owner had entered into an agreement with a builder Vikas Kejriwal and the legal heirs along with builder in collusion with the Officers of the Forest Department and Police Officers have cut the fruit bearing green trees illegally and when the Applicant had tried to resist, he and his family members were harassed. It is further alleged that 75 fruit bearing guava trees were illegally destroyed/cut by using bulldozer on 28.03.2024 and a complaint was made to the authorities but no action has been taken. Along with OA, photographs of trees which were cut have been enclosed.

2. The OA raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms.

3. To ascertain the truthfulness of the allegations and also for appropriate action, we direct the Divisional Forest Officer, Gorakhpur to 2 get the factual report and take action against the violators, if required, after duly following the principles of natural justice. The action taken report will be submitted by the DFO, Gorakhpur before the Registrar General of the Tribunal within four months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support

PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed before the Bench for consideration........."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 26.04.2024 जो इस कार्यालय को दिनांक 03.05.2024 को प्राप्त हुआ है। उक्त प्रकरण का निस्तारण करने हेतु उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर की अध्यक्षता में निम्न प्रकार समिति का गठन किया जाता है :-

1– सर्व श्री डॉ0 हरेन्द्र सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर – अध्यक्ष

2– ओम प्रकाश सिंह, क्षेत्रीय वनाधिकारी, परतावल – सदस्य

3– अखिलेश तिवारी, क्षेत्रीय वनाधिकारी, सहजनवां – सदस्य

उपरोक्त गठित समिति के अध्यक्ष व समस्त सदस्यगण संलग्न आदेश दिनांक 26.04.2024 के सम्बन्ध में जांच कर अपनी जांच आख्या मय साक्ष्य हस्ताक्षर सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दिनांक 25.05.2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

स्मरण रहें, उक्त प्रकरण महत्वपूर्ण है, जिसे ससमय निस्तारण करना अति आवश्यक है, अतएवं इसे शीर्ष प्राथमिकता देवें।

(विकास यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गोरखपुर

संख्याः 5524 अ/उक्तदिनॉकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सुचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सर्व श्री डॉ0 हरेन्द्र सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर।
2. ओम प्रकाश सिंह, क्षेत्रीय वनाधिकारी परतावल
3. अखिलेश तिवारी, क्षेत्रीय वनाधिकारी, सहजनवां।

(विकास यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गोरखपुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर, वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक 150 /10–1 दिनांक, गोरखपुर, जुलाई, 08 /2024

सेवा में,

श्री संतोष कुमार पाण्डेय,
क्षेत्रीय वनाधिकारी, खजनी,
गोरखपुर।

विषयः– **Before the national Green Tribunal Principal Bench New Delhi** में योजित **Original Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of Environment Forest And Climate Change** में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के सम्बन्ध में प्रकरण की जांच करने हेतु समिति के गठन के सम्बन्ध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक–5524 / 10–1 दिनांक 14.05.2024

उपरोक्त विषयगत प्रकरण में एन0जी0टी0 से सम्बन्धित प्रकरण की जांच करने हेतु इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा निम्न प्रकार समिति का गठन किया गया है:–

1– सर्वश्री डा0 हरेन्द्र सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर। — अध्यक्ष
2– ओम प्रकाश सिंह, वर्तमान में सेवा निवृत्त क्षेत्रीय वनाधिकारी, परतावल — सदस्य
3– अखिलेश तिवारी, क्षेत्रीय वनाधिकारी, सहजनवां — सदस्य

श्री ओम प्रकाश सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी, वर्तमान में सेवा में निवृत्त हो जाने के कारण उपरोक्त समिति के सदस्य के रूप में आपको नामित किया जाता है।

(विकास यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर।

संख्या 150 अ / दिनांकित
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1–उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर।
2–क्षेत्रीय वनाधिकारी, सहजनवां।

(विकास यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर।

169-ब

संलग्नक 03

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, उप वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक 754 / 10–1 दिनांक, गोरखपुर, मई, 16 / 2024

सेवा में,

श्री मेराज अहमद उर्फ सुड्डू,
मोहल्ला–लक्षीपुर खास,
थाना–गोरखनाथ,
तहसील–सदर,
जिला–गोरखपुर।
मो0नं0–9415304215

विषयः– Before the national Green Tribunal Principal Bench New Delhi में योजित Original Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of Environment Forest And Climate Change में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के सम्बन्ध में।

संदर्भः– राष्ट्रीय हरित अधिकरण,प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2024

उपरोक्त विषयक वाद आपके द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण,प्रधान पीठ, नई दिल्ली में दाखिल किया गया है। विषयगत प्रकरण की जांच हेतु प्रभाग स्तर पर समिति का गठन किया गया है। उक्त प्रकरण में सत्यता की जांच हेतु आपका उपस्थित होना आवश्यक है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 24/05/2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे गोरखपुर सोनौली मार्ग पर स्थित चन्द्रा पेट्रोल पम्प के पास स्थित आराजी सं0 619, ग्राम लच्छीपुर, तहसील–सदर, थाना–गोरखनाथ, जिला–गोरखपुर में आप द्वारा की गयी शिकायत से सम्बन्धित साक्ष्य/अभिलेखों सहित उपस्थित होकर उक्त जांच में सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

(signature)

(डॉ0 हरेन्द्र सिंह)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
उप वन प्रभाग,
गोरखपुर

EU197628346IN IVR:6955197608346
SP YBC GORAKHPUR RMS <273012>
Counter No:1,18/05/2024,20:53
To:MIRAJ AHMED,GKP
PIN:273015, Gorakhnath Mandir SO
From:UPP VAN ADHIKARI,GKP
Wt:14gms
Amt:17.70(Cash)Tax:2.70
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

India Post

संलग्नक-04.

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, उप वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक 868 /10–1 दिनांक, गोरखपुर, जून, 25 /2024

सेवा में,

श्री मेराज अहमद उर्फ सुद्दू,
मोहल्ला–लच्छीपुर खास,
पोस्ट–गोरखनाथ,
थाना–गोरथनाथ,
जिला–गोरखपुर।
पिन कोड–273015

विषयः– **Before the national Green Tribunal Principal Bench New Delhi** में योजित **Original Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of Environment Forest And Climate Change** में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के सम्बन्ध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक–754 / 10–1 दिनांक 16.05.2024

गोरखपुर सोनौली मार्ग पर चन्द्रा पेट्रोल पम्प के पास स्थित ग्राम–लच्छीपुर के आराजी संख्या–619 में वृक्षों के कटान के सम्बन्ध में उपरोक्त विषयक वाद आप द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,प्रधान पीठ, नई दिल्ली में दाखिल किया गया है। उक्त प्रकरण की जांच हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक–5524 / 10–1 दिनांक 14.05.2024 द्वारा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

इस सम्बन्ध में प्रकरण की जांच हेतु दिनांक 24.05.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे आयोजित बैठक में साक्ष्य सहित उपस्थित होने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–754 / 10–1 दिनांक 16.05.2024 द्वारा रजिस्टर्ड डाक से आपको सूचित किया गया था, लेकिन किसी कारणो से आप उपस्थित नही हुए।

पुनः आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 03/07/2024 को पूर्वान्ह 11 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में पुनः समिति की बैठक आयोजित की गयी है। आप जांच में सहयोग करने हेतु शिकायत से सम्बन्धित साक्ष्य / अभिलेखों सहित उपरोक्त निर्धारित तिथि को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(डा0 हरेन्द्र सिंह)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर उप वन प्रभाग, गोरखपुर

संख्या 868 अ / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि–1–प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2–क्षेत्रीय वनाधिकारी, परतावल, सहजनवां एवं मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि आप लोग भी समिति की बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

(डा0 हरेन्द्र सिंह)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर उप वन प्रभाग, गोरखपुर

भारतीय डाक
India Post
EU368659898IN IVR:69653E8659898
SP MBC GORAKHPUR RMS (273012)
Counter No:1,26/06/2024,21:35
To:MERAJ AHMAD,LACHHIPUR
PIN:273015, Gorakhnath Mandir SO
From:UP PRABHAGIYA VAN ,GKP
Wt:18gms
Amt:17.70(Cash)Tax:2.70
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)

24

फार्म नं0 एच–2

67 पृष्ठ सं0

वन विभाग उत्तर प्रदेश

पूर्वी वृत्त–गोरखपुर

संलग्नक 05

वन प्रभाग–गोरखपुर

वन अपराध– उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10

रिपोर्ट नं0 .... दिनांक 22-7-2023 रेंज मुख्यालय .... बीट मुख्यालय

रेंज केस संख्या 04/2023-24 20 20

1– अभियुक्तों के नाम, पिता के नाम तथा पता : ① [illegible] S/o [illegible] ग्राम [illegible] थाना - सिवाईपुर, जिला - गोरखपुर ② इस्लाम S/o [illegible] ग्राम - जंगल बहादुर थाना - चिलुआताल गोरखपुर

2– गवाहों के नाम आत्मज तथा पता ① [illegible] कुमार वर्मा (चौकीदार) ② स्वयं (नरेन्द्र कुमार व0र0)

3– कथित अपराधों का पूरा विवरण ग्राम [illegible] में एक [illegible] को अवैध तरीके से जड़ से काटकर [illegible] में परिवर्तित करते हुए पकड़ा गया। [illegible] का विवरण —

① 1.25×1.45 जड़ ② 1.33×1.68 ③ 1.30×1.50
④ 1.45×1.45 ⑤ 1.85×1.10 ⑥ 1.28×1.10
⑦ 1.85×0.90 ⑧ 1.30×1.10 ⑨ 1.30×1.00

4– अपराध के समय यदि अपराधी का कोई समान अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया हो तो उसका विवरण

5– कुल हानि का मूल्यांकन

6– बरामद की गई लकड़ियों का विवरण एवं रखने का स्थान

7– चालान एवं जांच के सम्बन्ध में विशेष कथन

महोदय,
निवेदन है कि उपरोक्त दिनांक 22-7-23 लगभग 3:00 PM मुखबिर एवं द्वारा सूचना मिली की [illegible] S/o [illegible] निजि बाग में एक [illegible] अवैध काटकर [illegible] जा रहा है यदि आप जल्दी पहुँचें तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुये [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] द्वारा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] तैयार की जाती है [illegible] [illegible] [illegible] S/o [illegible] निवासी [illegible] थाना चिलुआताल [illegible] को सुपुर्दगी में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

केस काटने वाले का हस्ताक्षर

दिनांक : 22-7-2023 मद (नरेन्द्र कुमार) व0र0

संलग्नक - 06

आधिकृत [illegible]

वन विभाग, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, उ०प्र०

-3 बुक नं० 13095 2.N (01-08-23) नं० 29

न प्रभाग .... दिनांक [illegible]

श्री [illegible] .... से

[illegible]

रुपया [illegible] 7000/- [illegible] .... प्राप्त किया।

बाबत [illegible] 2023-24

दिनांक [illegible] प्राप्तकर्ता हस्ताक्षर

पद नाम [illegible]

[illegible] 2023

मुख्यालय [illegible]

आवेदन सं॰ - ...37-240
दिनांक - 21-10-2023

श्री नरेन्द्र कुमार व॰

कृपया मौके की जाँच

जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करें

27-10-11-23

अनुलग्नक-एक (भाग एक)

क्र संख्या 11

वन प्रभाग का नाम........................ संलग्नक 07

फार्म संख्या.........1091........................वित्तीय वर्ष........................

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के अधीन वृक्ष गिरने की अनुज्ञा के लिए

आवेदन

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम (यथा संसोधित) 1976 की धारा 5 (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित

सेवा में,

उप प्रभागीय वन अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी- निदेशक/ तहसीलदार / उद्यान निरीक्षक /

........................जिला........................

महोदय,

मैं/ हम...महबूब सईद...पुत्र श्री...हामिद अली...निवासी ग्राम...छोटे काजी पुर डाक...सदर...तहसील...सदर...थाना...कोतवाली...जिला...गोरखपुर...अपने निजी कास्त के वृक्ष (वृक्षों) को गिराना और हटाना चाहता हूँ/ चाहते है, तो नीचे दिये गये विवरण के अनुसार तहसील...सदर...थाना...गोरखनाथ...

जिला...गोरखपुर...में पड़ने वाली मेरी/हमारी भूमि के प्लाट सं0...619 मी0...रकबा...0.964...

........................ग्राम...छोटे काजीपुर...में स्थित है-

क्र0 सं0	वृक्ष की प्रजाति	छाती की ऊँचाई पर वृक्ष के तने का व्यास (सेमी)	वृक्ष को गिराने/हटाने का कारण
1	2	3	4
1.	सागौन हरा	1.50 मी0	मकान बनवाने हेतु
2.	बेल हरा	2.63 मी0	
3.	आम हरा	2.08 मी0	
4.	आम हरा	2.45 मी0	
5.	आम हरा	1.90 मी0	
			नरेन्द्र कुमार व0ए0

2. मैं/हम वृक्षों को गिराने के तुरन्त पश्चात आने वाली वर्षा ऋतु की समाप्ति से पूर्व.. प्रजाति सं0.. के वृक्षो का रोपण और संरक्षण करने का वचन देता हूँ / देते हैं
3. मैं/ हम उपर्युक्त वृक्ष (वृक्षों) को गिराऊँगा और हटाऊँगा/गिरायेंगे और हटायेंगे या मैं/ हम श्री...निवासी ग्राम.......................... ....पुत्र श्री..जिला.............................. डाक...तहसील...उपर्युक्त वृक्ष/वृक्षों को गिराने और हटाने के लिए अधिकृत करूँगा/ करेंगे जिसके लिए नोटरी द्वारा सत्यापित..रूपये के न्यायिकेतर स्टाम्प पत्र इसके साथ संलग्न है
4. मैं/हम प्रत्येक गिरे हुए वृक्ष के लिए दो पौधों के रोपण और पश्चातवर्ती देख-रेख की प्रतिभूति स्वरूप प्रति पौधा 1200/- रूपये की दर से.. रूपये डाकघर बचत बैंक पासबुक/ राष्ट्रीय बचत पत्र, जो सक्षम प्राधिकरण के पदनाम से गिरवी रखी गयी है, संलग्न करता हूँ/ करते है
5. मैं/हम वृक्ष को गिराने या आवेदन की अस्वीकृत के सम्बन्ध में रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय का पत्र व्यवहार करने के लिए अपना पता युक्त स्टाम्पित लिफाफा संलग्न करता हूँ/करते है
6. मैने/हमने उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के उपबन्धों को पढ़ लिया है और मै/हम उनका पालन करूँगा/करेंगे
7. मैं/ हम सत्यापित करता हूँ/ करते है कि उपर्युक्त सूचनाएं मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही और सत्य है
8. अनुरोध है कि उपर्युक्त वृक्ष/ वृक्षों को गिराने / हटाने की सिफारिश इस आवेदन पत्र के भाग-दो में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकरी को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-

1. प्रतिभूति के रूप में डाकघर बचत पास बुक/राष्ट्रीय बचत पत्र (मूल रूप में) ।
2. अपना पता युक्त और स्टाम्पित रसीदी रजिस्ट्री डाक का लिफाफा।
3. मूल रूप में न्यायिकेतर स्टाम्प पत्र पर नोटरी द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा (यदि लागू हो)

हस्ताक्षर प्रमाणित
नरेन्द्र
....

आवेदक का हस्ताक्षर......महबूब सईद......

नाम......महबूब सईद......

निवासी ग्राम......हाते खलीलपुर......डाक......स0 ग0......

तहसील......स0 ग0......थाना......कोतवाली

जिला......गोरखपुर......

पिन कोड......

① - सईद
② - T. Saiyed
③ आरिफ सईद

दिनांक......1-10-2023......

स्थान......हाते खलीलपुर......

MOB-9721065463

टिप्पणी-

1. वन विभाग से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र ही मान्य होगा। फोटो प्रतियां स्वीकार नहीं होगे।
2. अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अनुलग्नक एक (भाग-दो)

जाँच रिपोर्ट

...र प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम (यथा संशोधित) 1976 की धारा 5 (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी-निदेशक/ जिला उद्यान अधिकारी /मुख्य निकास अधिकारी/ अपर जिला मजिस्ट्रेट (विकास)..............................जिला..........................उ0प्र0

आवश्यक जाँच करने के पश्चात मैं अधोहस्ताक्षरी, सत्यापित करता हूँ कि आवेदक श्री.........महबूब सईद.....पुत्र श्री.....शाहिद अली.....निवासी ग्राम....छोटे काजीपुर........ डाक.......सदर................थाना..कोतवाली.....तहसील....सदर...........जिला...गोरखपुर..... ने आवेदन पत्र (भाग) में सही और सूचना दी है। मैंने उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के उपबन्धों को पढ़ लिया है, और उक्त वृक्ष / वृक्षों को गिराने / हटाने की अनुज्ञा जारी करने से अधिनियम का उल्लंघन नहीं होगा।

या

आवश्यक जाँच करने के पश्चात मेरी राय है कि ऊपर उल्लिखित आवेदक द्वारा प्रस्तुत गिराने की अनुज्ञा का आवेदन, निम्नलिखित आधार (आधारों) पर अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

1.

2.

उपर्युक्त रिपोर्ट के साथ आवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया जाता है।

हस्ताक्षर [signature]

नाम नरेन्द्र कुमार

पद नाम वनरक्षक

सेक्शन / रेंज का नाम मुख्यालय

मुहर

दिनांक 1-10-2023

स्थान

टिप्पणी-

1. उपर्युक्त सिफारिश उपर्युक्त विहित निदर्शनपत्र में ही विधि मान्य होगी।

2. जाँच अधिकारी आवश्यक विधिक कार्यवाही का दायी होगा यदि वह गलत/ असत्य सिफारिश प्रस्तुत करता है।

3. कृपया जो प्रयोज्य न हो उसे काट दीजिए।

ग्राम अब्दुल्लापुर .... तप्पा .... परगना .... तहसील .... जिला गोरखपुर बाबत फसली-14

[illegible]	क्षेत्रफल	खतौनी खाते की संख्या	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 2 के अनुसार खातेदार का नाम	सिंचाई की रीति व कुयें	कृषि फसली वाली भूमि का क्षेत्रफल — खरीफ — फसल का नाम	खरीफ — सिंचित	खरीफ — असिंचित	रबी — फसल का नाम	रबी — सिंचित	रबी — असिंचित	जायद — फसल का नाम	जायद — सिंचित	जायद — असिंचित	दो फसली क्षेत्रफल — सिंचित	दो फसली क्षेत्रफल — असिंचित	अधिकृत भूमि का ब्योरा — भूमि की श्रेणी	अधिकृत भूमि का ब्योरा — क्षेत्रफल	क्षेत्र के खड़े हुए वृक्षों की संख्या व किस्म	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१
६	2.302	696 0-६६४	तारिक सईद व आबिद सईद व महबूब सईद व अजीज फातमा व मो० तारिक सईद व आबिद सईद व महबूब सईद कमी 1(क)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	बाग आबादी परती	0-२२० 0-020 0-9२४	आम 06 ? / कटहल 01	शीशम 03 / नीम 01	

प्रतिलिपि सत्य है [illegible]

Naseem [illegible]
22/09/23

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 21736320210167

खाता संख्या 217383 ग्राम का नाम / परगना : [illegible](हवेली) तहसील : सदर जनपद : गोरखपुर फसली वर्ष : 1423-1428 भाग : 1

खाता संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के खसरों व गाटे की कुल संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (है.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।							
01899	हामिदअली / हाजिद अली / . लारेब सईद / हामिदअली / . अफिक सईद / हामिदअली / . महबूब सईद / हामिदअली / सा. [illegible]पुर खुर्द श्रीमती [illegible] / हामिद अली पत्नी [illegible] / नि. [illegible]नगर [illegible] पत्नी	1360फ	619मि.	0.9640		आर0 सी0 9 ए0 सि0 वरासत वाद सं0 2020516800950002163/10.12.2020 द्वारा सं0 676 व 1899 व 1897 व 1900 व 1898 से मृतक मुहम्मद हामिद अली पुत्र मुहम्मद साजिद अली के स्थान पर अजीम फातमा पत्नी मुहम्मद हामिद अली व फरहा फातिमा पुत्री मुहम्मद हामिद अली पत्नी डी0आर0 रहमान (विवाहित पुत्री) व मोहम्मद तारिक सईद व अतिफ सईद व महबूब सईद पुत्रान मोहम्मद हामिद अली का नाम बतौर वारिस दर्ज है।	
			1	0.9640	₹ 23.60	1	0

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव नौ छः चार शून्य (हेक्टेयर) कुल मालगुजारी - दो तीन दशमलव छः शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: UMESH DWIVEDI

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

सक्षम अधिकारी: DHANUSHDHARI SINGH

तहसील: सदर जनपद: गोरखपुर

दिनांक एवं समय: 13-01-2021 04:28:08

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

13-01-2021 04:28 PM

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु. 10

TEN RUPEES

NOTARIAL NOTARIAL

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 88AE 909166

समक्ष– प्रभागीय बनाधिकारी महोदय, गोरखपुर

NOTARY AMITABH TRIPATHI H.Q. GORAKHPUR R.No. GOVT. OF UTTAR PRADESH

1. यह कि शपथ पत्र मिनजानिब महबूब शईद पुत्र स्व0 हामीद अली निवासी छोटे काजीपुर पो0 सदर तहसील सदर जिला गोरखपुर के खातेदार है।
2. यह कि उपरोक्त का नाम व पता सही सत्य है।
3. यह कि शपथकर्ता बहलफ बयान करता हूँ व कसम खाता हूँ कि शपथकर्ता अपनी नीजी भूमि में गाटा सं0–619 मि0 रकबा 0.964हे0 ग्राम लच्छीपुर तप्पा कस्बा परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर में अपने जमीन में आम तथा अन्य वृक्ष है जिसे कटवाकर शपथकर्ता मकान बनवायेगा। जिसमे बाग मे तीन पेड़ आम, एक पेड़ बेल व एक पेड सागवान को कटवाना चाहता है। उक्त पेड़ो का स्वामित्व हम शपथकर्ता है।
4. यह कि शपथकर्ता बहलफ बयान करता हूँ व कसम खाता है कि शपथकर्ता परमिट के अतिरिक्त कोई अन्य पेड़ नहीं काटेगा तथा वन विभाग के नियम एवं शर्तों का पालन करेगा।
5. यह कि शपथकर्ता बहलफ बयान करता है व कसम खाता है कि उक्त पेड़ के पातन परमिट लेने पर आपस में कोई विवाद नहीं है यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यह पर स्वत निरस्त मानी जायेगी।
6. यह कि शपथकर्ता बहलफ बयान करता है व कसम खाता है कि उपरोक्त पैरा 1 से 5 तक शपथपत्र सही व सत्य है इसमें कोई बात छिपायी नही गयी है। ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक —

शपथकर्ता

(महबूब शईद)

महबूब सईद

AMITABH TRIPATHI
NOTARY
H.Q. Gorakhpur

1/4 30-9-23 महबूब रशीद S/o हमीद अली नि० छोटे काजीपुर, गो.

रवि कुमार गुप्ता स्टाम्प विक्रेता
ला० नं०-235
कलेक्ट्री कचहरी, गोरखपुर

NOTARY
AMITABH TRIPATHI
H.Q.-GORAKHPUR
R.No. 37/1979
GOVT. OF UTTAR PRADESH

महबूब सईद

Identified
the Above Sig.
Hdv.
30-9-23

NO ....
Solemnly Affirmed before me on 30/9/23
by Shree Mahaboob Said
The deponent who is identified by
Shri Maimuna Siddiqui
I have satisfied my self by examining
the deponent that he/she understand
the contents of this affidavit which has
Been read over and Explained by me.

30/9/23

AMITABH TRIPATHI
NOTARY
H.Q. Gorakhpur

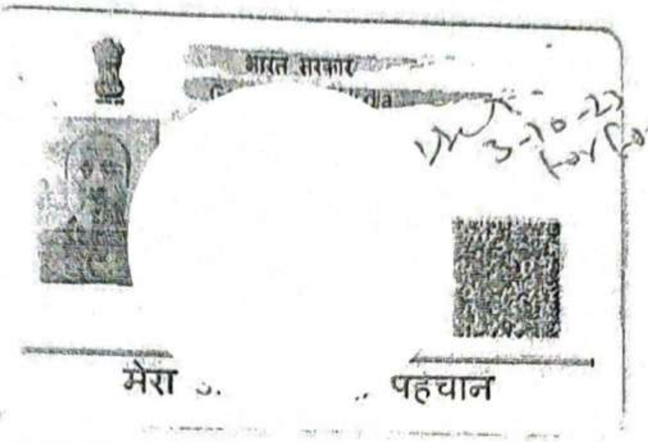
भारत सरकार
ndia
3-10-23
मेरा
पहचान

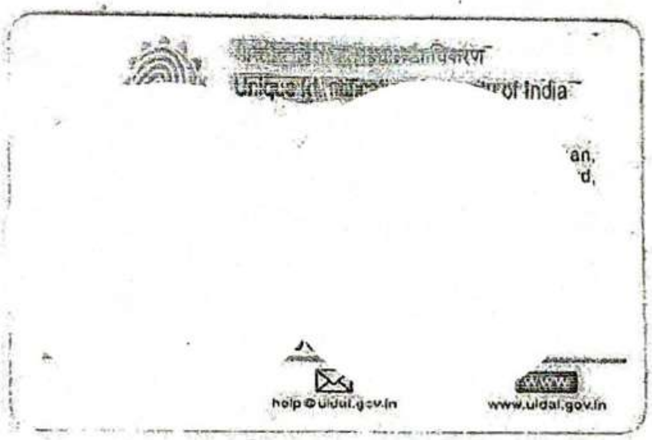
प्राधिकरण
Unique
of India
an,
d,
help@uidai.gov.in
www.uidai.gov.in

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
08082011

...ामान्य अनुदेश

...ा के लिए, उसके द्वारा किए गए लेनदेन का रिकार्ड है ...ाये गए शेष पर वैधानिक रुप से दावा नहीं किया जा

...ा का यह कर्तव्य होगा कि वह पासबुक मे दर्शाये शेष की पुष्टि ...त डाकघर से करें और डाकघर अपने रिकार्ड मे दर्शाई जाने वाली ...स्तविक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

किसी भी प्रयोजन के लिए पासबुक डाकघर को सौंपने पर डाकघर से उसकी पावती हमेशा लें।

4) पासबुक को हमेशा अपनी निजी अभिरक्षा मे रखे, किसी अन्य व्यक्ति को पासबुक सौंपने की स्थिति में पैसे की किसी प्रकार की हानि होने पर डाकघर उसके लिए जिम्मेदार नही होगा।
5) पासबुक में कही पर भी नमूना हस्ताक्षर न करें।
6) लेन-देन के बाद पासबुक मे दर्ज शेष की जांच करें और किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर पोस्टमास्टर से तुरंत संपर्क करें।
7) पासबुक गुम होने की स्थिति में पोस्टमास्टर को तुरंत लिखित में शिकायत करें।
8) यदि पते में कोई बदलाव हो तो इसकी सूचना पोस्टमास्टर को दें।
9) प्राधिकृत एजेंट सहित किसी भी व्यक्ति को हस्ताक्षर किया हुआ बिना भरा (ब्लैंक) निकासी फार्म न सौंपे।
10) अपने खाते से पैसे की निकासी के लिए पोस्टमास्टरों या प्राधिकृत एजेंटो को संदेशवाहक के तौर पर नियुक्त न करें।

कृपया पासबुक न मोड़ें।

https://www.indiapost.gov.in/Financial/pages/Content/Post-office-Saving-Schemes.aspx and details are available at https://www.indiapost.gov.in/VAS/Pages/RTI/RTI-Manual-5.aspx

Pleadge to DFO Gorakhpur

NSC VIII Issue
SOL ID/NAME: 22[illegible]/G[illegible] H.O
IFSC Code : [illegible]
Account No: [illegible]
CIF(s) / Depositor(s) Name :
1: 3[illegible]16616 / [illegible]
2: /
3: /
Depositor(s) Address :
1. [illegible] /
2.
GORAKHPUR, UTTAR PRADESH/273001
Account Open Date : 20-10-2023
Mode Of Operation : SELF
Nomination : Yes
Deposit Amount (in Rs.) : 5000
(Rupees Five Thousand)
Maturity Date : 20-10-2028
Maturity Amount (in Rs) : 7245
(Rupees Seven Thousand Two Hundred Forty Five
Through Agent : No

Signature Of Postmaster

डाक घर बचत बैंक
Post Office Savings Bank

बचत बैंक खाता
सुकन्या समृद्धि खाता
पी. पी. एफ खाता
एम. आई. एस. खाता
एम. सी. एस. एस. खाता
राष्ट्रीय बचत पत्र

आवर्ती जमा खाता
१ वर्षीय सावधि जमा खाता
२ वर्षीय सावधि जमा खाता
३ वर्षीय सावधि जमा खाता
५ वर्षीय सावधि जमा खाता
किसान विकास पत्र

बेहतर, सस्ती, पूर्णतः सुरक्षित एवं भरोसेमंद
डाक जीवन बीमा
सरकारी, अर्धसरकारी, पेंशेवरों एवं स्नातकों के लिये
ग्रामीण डाक जीवन बीमा
ग्रामीण लोगों के लिये खास बीमा योजना
PLI
RPLI

#Aapka Dost #India Post
Assured and Fast Delivery
EMS SPEED POST
Book now pay Later Scheme available
Online tracking of articles
Cash on delivery service for e-commerce
Delivery information via SMS

#Aapka Dost #India Post
Experience
hassle-free & convenient
PARCEL SERVICES
Features of Parcel Services-
- Business & Speed Post Parcel-upto 35 kg
- Express Cargo Service (35 kg to 100 kg)
- Pick up Facility
- Attractive Discount Structure
- COD Facility

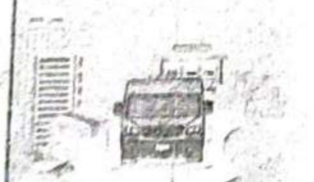

SB-5A Department of Posts, India

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20

Passbook
National (Small) Savings Schemes

IFSC Code	IPOS0000DOP
Post Office	
CIF ID	
Account No.	
Scheme	

For more information visit: www.indiapost.gov.in
For Net Banking: ebanking.indiapost.gov.in

संलग्नक 04

कार्यालय- क्षेत्रीय वनाधिकारी मुख्यालय रेंज वन प्रभाग, गोरखपुर
पत्रांक- 68 / 3-1, दिनांक, मुख्यालय, गोरखपुर-01/2023

सेवा में,
अधीक्षक
राजकीय उद्यान गोरखपुर

विषय- श्री महबूब सईद पुत्र श्री हामिद अली, निवासी- कोट काजीपुर, थाना- कोतवाली, गोरखपुर के आवेदन के सम्बन्ध में।

महोदय,
श्री महबूब सईद पुत्र श्री हामिद अली, निवासी- कोट काजीपुर, पोस्ट- सदर, थाना- कोतवाली, जिला- गोरखपुर द्वारा अपने राजस्व ग्राम- लच्छीपुर, थाना- गोरखनाथ, गोरखपुर में आराजी संख्या 619 मि० में स्थित सागौन वृक्ष-01, बेल वृक्ष-01 व आम वृक्ष-03 कुल-05 वृक्षों को कटवाने के लिए पातन अनुज्ञा हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया गया है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन, खतौनी, खसरा व शपथ पत्र संलग्न कर इस आशय से आपको भेजा जा रहा है कि उक्त आवेदन में वर्णित फलदायी वृक्ष बेल व आम के फलदायी होने के सम्बन्ध में अपनी जांच आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
मुख्यालय रेंज

संख्या / दिनांकित
प्रतिलिपि- श्री महबूब सईद पुत्र श्री हामिद अली निवासी- कोट काजीपुर, पोस्ट- सदर, थाना- कोतवाली गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
मुख्यालय रेंज
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

संलग्नक 09

प्रेषक,

अधीक्षक
राजकीय उद्यान
गोरखपुर।

सेवा में,

कार्यालय क्षेत्रीय वनाधिकारी
मुख्यालय रेंज, वन प्रभाग
गोरखपुर।

पत्रांक 1291 / फलदायी क्षमता / 2023–24 / दिनांक 09.10.2023

विषय:– आम वृक्ष के फलदायी क्षमता /जॉच रिर्पोट के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पत्रांक सं0 68 / 31–1 दिनांक 01.02.2023 के क्रम में श्री महबूब सईद पुत्र श्री हामिद अली, निवासी–छोटे काजीपुर, पोस्ट–सदर, थाना–कोतवाली, जनपद–गोरखपुर अपने राजस्व ग्राम लच्छीपुर, थाना–गोरखनाथ गोरखपुर द्वारा अपने निजी भूमि के अराजी सं0–619 मि0 में स्थित 03 आम वृक्ष एवं 01 बेल वृक्ष का निरीक्षण दिनांक 07.10.2023 को मौके के पर जाकर श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी' उद्यान निरीक्षक' (वर्ग–2) द्वारा किया गया। जिसमें वृक्षों की आयु लगभग 60–65 वर्ष है। जो सूखे रोगग्रस्त हरे खड़े है। वृक्षों की स्थिति जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। जिसे देखने प्रतीत होता है कि वृक्षों में फलदायी क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है।

उपरोक्तानुसार जॉच आख्या आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

अधीक्षक
राजकीय उद्यान
गोरखपुर

वन विभाग (उ0 प्र0 सरकार) — लखनऊ 10

Department of Forest (Government of Uttar Pradesh)

वृक्ष गिराने का अनुज्ञा पत्र

(शासनादेश संख्या :- उत्तर प्रदेश सरकार वन विभाग -2488/14-5-2002-7/93 दिनांक 28/12/2002)
अधिनियम की धारा 5(4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित) प्रभागीय निदेशक/ प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय सामाजिक वानिकी प्रभाग, 6587240 संख्या दिनांक 25/10/2023

सेवा में ,

		क्षेत्र:	ग्रामीण		
श्री/श्रीमती/कुमारी :	Mahboob Sayeed	पत्नी/पुत्र/पुत्री श्री:	Mohd. Hamid Ali	ज़िला:	गोरखपुर
तहसील:	SADAR	परगना:	Haveli	थाना:	Kotwali
डाक:	Sadar	ग्राम सभा:	Chhote Kazipur	गांव:	Chhote Kazipur

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा -5 के अधीन वृक्ष (वृक्षों) को गिराने के लिए अनुज्ञा पत्र गिराये जाने के सम्बन्ध में आपके आवेदन दिनांक 21/10/2023 और जाँच अधिकारी की सिफारिश के आधार पर वृक्ष / वृक्षों को गिराने / हटाने के लिए नीचे दिए गये विवरण के अनुसार अनुज्ञा प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	प्रजाति का नाम	132 से.मी. की ऊंचाई पर वृक्ष की गोलाई/परिधि(से.मी. में)	वृक्ष को गिराने का कारण	वन-दरोगा द्वारा दिया गया 132 से.मी. की ऊंचाई पर वृक्ष की गोलाई/परिधि (से.मी.)	वन-दरोगा द्वारा दिया गया वृक्ष को गिराने का कारण
1	बेल	263	मकान निर्माण में बाधक	263	समुप्योज दर्जा व्यास प्राप्त कर लिया है
2	सागौन	150	हरा खड़ा परिपकव/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	150	समुप्योज दर्जा व्यास प्राप्त कर लिया है
3	आम	190	पुराने, फलहीन, रोगग्रस्त	190	समुप्योज दर्जा व्यास प्राप्त कर लिया है
4	आम	208	पुराने, फलहीन, रोगग्रस्त	208	समुप्योज दर्जा व्यास प्राप्त कर लिया है
5	आम	245	पुराने, फलहीन, रोगग्रस्त	245	समुप्योज दर्जा व्यास प्राप्त कर लिया है

एन एस सी संख्या:	020090215725	डाकघर का नाम :	Pradhan Dakghar, GKP	राशि :	5000.00

उपर्युक्त वृक्ष श्रीMahboob Sayeed पुत्र श्री Mohd. Hamid Ali के नाम से अभिलिखित प्लाट संख्या 619 रकबा 0.964 जिला गोरखपुर तहसील SADAR परगना Haveli ग्राम सभा Lachhipur थाना Gorakhnath गांव Lachhipur डाक Gorakhnath में स्थित है ।

वन विभाग (उ0 प्र0 सरकार)
Department of Forest (Government of Uttar Pradesh)

1. आवेदक ने प्रत्येक गिरे हुए वृक्ष के स्थान पर दस पोधे रोपित करने और उनकी पश्चातवर्ती देख -रेख के लिए डाक घर बचत पास बुक / राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में प्रति पौधे 1 0 0 0/- र० सक्षम प्राधिकारी को पदनाम से गिरवी रखी गयी प्रतिभूति की धनराशि उक्त पौधों की स्थापना पर छ : वर्ष के पश्चात् वापस कर दी जाएगी । कटान अवधि में कटान स्थल पर उपस्थित मुहर्रिर का दैनिक पारिश्रामिक :

2. जिस दिन से कटान शुरू होगी , अनुज्ञा धारी की यह जिम्मेदारी होगी की वह पातन प्रारंभ करने से पूर्व सम्बंधित वन क्षेत्राधिकारी को जिस तिथि से पातन पत्र जारी हो रहा है वह सूचना करेंगा ताकि शासनादेश संख्या ४३४ के प्रस्तर दिए गये निर्देशों की वन क्षेत्राधिकारी द्वारा अनुपालन सुरक्षित किया जा सके |

3. सेक्शन अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार धनराशि जमा करा के आवेदक को पातन अनुज्ञा की प्रति हस्तगत करायें एवं अनुपालन आख्या से प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को अवगत करा दें |

4. अनुमति शुल्क की राशि 100 रुपया प्रति वृक्ष रेंज कार्यालय में जमा कराये ।

5. इस पातन अनुज्ञा हेतु सम्बंधित क्षेत्र के सेक्शन अधिकारी पातन अनुज्ञा अधिकारी नियुक्त किये जाते है, जो कि शासनादेश संख्या 434/14-5-2013 दिनांक 11/03/2013 में वर्णित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होंगे | वन रजिस्ट्रेशन शुल्क रु.…/- की ई 3 रसीद जारी करें

6. यह पातन अनुज्ञा पत्र दिनांक ~~27/10/2023से04/11/2023~~ तक विधिमान्य होगा ।
01-11-2023 से 10-11-2023

कार्यालय प्रभागीय निदेशक/ प्रभागीय वनाधिकारी,गोरखपुर दि -31-10-2023

संख्या. 6587240 दिनांक: 25/10/2023 पत्रांक : 1730/37-1

प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर वन प्रभाग
गोरखपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रसारित ।

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी /गोरखपुर
2. वन क्षेत्राधिकारी मुख्यालय ...जिला गोरखपुर
3. थानाध्यक्ष Gorakhnath जिला गोरखपुर
4. उपजिलाधिकारी SADAR....जिला गोरखपुर
5. प्रभारी सुरक्षा बल गोरखपुर...जिला गोरखपुर

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग
गोरखपुर वन प्रभाग
गोरखपुर

प्राप्त किया
मटकुब सईद

पु० सं० 24

फार्म

वन विभाग उत्तर प्रदेश

पूर्वी वृत्त–गोरखपुर

संलग्नक - II

वन प्रभाग–गोरखपुर

वन अपराध– उ०प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 व 3/08

रिपोर्ट नं0 ...... दिनांक 13-11-2023 रेंज मुख्यालय ...... बीट [illegible]

रैंज केस संख्या 09/2023 – 2024 20

1– अभियुक्तों के नाम, पिता के नाम तथा पता : ① इस्लाम S/O मजीद ग्राम - जंगल बहादुर थाना - चिलुआताल जिला - गोरखपुर ② मो० सईद S/O मो० हामिद अली, ग्राम - छोटे काजीपुर, थाना - कोतवाली, गोरखपुर

2– गवाहों के नाम आत्मज तथा पता ① श्री वीरबल निषाद (वाहन चालक) मुख्यालय रेंज ② श्री राजकुमार वर्मा (चौकीदार) मुख्यालय रेंज ③ स्वयं (नरेन्द्र कुमार) व०र०

3– कथित अपराधों का पूरा विवरण ग्राम लच्छीपुर में मो० सईद S/O मो० हामिद अली के प्लाट संख्या 619 रकबा 0.964 जिला गोरखपुर में स्थित आम हरा ② वृक्ष, सागौन ③ वृक्ष एवं नीम ① वृक्ष का अवैध पातन करके प्रकाष्ठ को गायब कर देना एवं शेष प्रकाष्ठ मौके पर पाया जाना।

क्र०सं०	प्रजाति	कुल नाप
(1)	सागौन	0.98 घ०मी० मौके से प्रकाष्ठ गायब
(2)	सागौन	0.93 घ०मी० मौके से प्रकाष्ठ गायब
	नीम	0.89 घ०मी० मौके से प्रकाष्ठ गायब

4– अपराध के समय यदि अपराधी (को) कोई समान अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया हो तो उसका विवरण आम हरा ठूंठों के नाप । ① 1.23×1.85 ② 1.35×1.60 ③ 1.30×1.45 ④ 1.38×1.40 ⑤ 1.75×1.05 ⑥ 1.00×1.00

5– कुल हानि का मूल्यांकन

6– बरामद की गई लकड़ियों का विवरण एवं रखने का स्थान

7– चालान एवं जांच के सम्बन्ध में विशेष कथन

महोदय

आज दिनांक 13-11-2023 को समय लगभग [illegible] बजे क्रम सं० ② में वर्णित साक्षियों के साथ ग्राम - लच्छीपुर थाना - [illegible] जिला गोरखपुर के मो० सईद S/O मो० हामिद अली के नाम पातन परमिट संख्या 6587240 दिनांक 25-10-2023 द्वारा जारी कटान को चेक किया गया जिसमें पातन परमिट के अतिरिक्त वृक्ष आम ③, सागौन ②, नीम ①, अवैध पातन पाया गया। मौके पर आम के ⑥ ठूंठे एवं मिले, अगल-बगल पूछ-ताछ करने पर पता चला जो क्र०सं० ① में वर्णित अभियुक्तों द्वारा पेड़ों को काटकर प्रकाष्ठ को गायब कर दिया गया [illegible] आम के ⑥ पेड़ों का फर्द तैयार कर सुरक्षा की दृष्टि कोण से बरामद आम के ठूंठे को श्री [illegible] S/O मोहर निवासी - ग्राम मोहनपुर थाना - चिलुआताल जिला - गोरखपुर को सुपुर्दगी में दिया गया।

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ प्रेषित है।

(नरेन्द्र कुमार)

केस काटने वाले का हस्ताक्षर

दिनांक : 13-11-2023

पद व०र०

संलग्नक - 12

आधिकृत ...

वन विभाग, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, उ०प्र०

उप प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर

E-3 बुक नं० 13095 क्र० नं० 65

वन प्रभाग गोरखपुर दिनांक 04/04/2024

श्री मो० सईद पुत्र मो० [illegible] निवासी [illegible] से

रूपया 35,000/- (पैंतीस हजार मात्र) प्राप्त किया।

बाबत मुख्यालय रेंज के अन्तर्गत - रेंज केस संख्या 09/2023-24 के प्रतिकर की धनराशि।

दिनांक 04/04/2024

प्राप्तकर्ता हस्ताक्षर
पद नाम क्षेत्रीय वनाधिकारी
मुख्यालय रेंज
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

संलग्नक 13

संख्या : 40018823042313

...का विवरण:

नाम: MERAJ AHMAD

पिता/पति का नाम: MANAUWAR

आधार संख्या: ---

मोबाइल न.1: 9415304215

मोबाइल न.2:

ई-मेल आईडी: ---

पता: वार्ड - राजेन्द्र नगर पश्चिमी , टाउन - गोरखपुर , जिला - गोरखपुर

आवेदन का प्रकार: शिकायत

आवेदन पत्र का ब्यौरा:

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा: CM MAHODAY KO SUCHANARTH EAVAM VIDHIK KARWAHI HETU PRESHIT

संदर्भ दिनांक: 02-11-2023

पूर्व सन्दर्भ संख्या(यदि है तो): -----

विभाग: पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

सन्दर्भ श्रेणी: जंगल/लकड़ी का अवैध कटान

स्रोत : ---

प्रकृति: ---

स्तर :

पद :

आवेदनकर्ता/शिकायत क्षेत्र का विवरण:

पता:

शिकायत की स्थिति:

प्रक्रियाधीन

अग्रसारित विवरण :

क्र. स.	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आदेश	स्थिति
1	अंतरित	ऑनलाइन सन्दर्भ	02-11-2023	02-12-2023	प्रभागीय वन अधिकारी-गोरखपुर,पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग		अनमार्क

R.O मुख्यालय

जाँच कर आख्या तत्काल प्रेषित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर वनप्रभाग
गोरखपुर

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री जी,
उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।

विषयः वन विभाग के बिना परमीशन के अवैध कटान किए जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

सादर आपको अवगत कराना है कि थाना–गोरखनाथ, सोनौली रोड, चन्द्रा पेट्रोल पम्प स्थित स्व0 हामिद अली पुत्र स्व0 साजिद अली जी का बागीचा है जिसमें 75 पेड़ अमरूद, 17 पेड़ आम, 3 पेड़ लीची, 1 पेड़ पंजाला व शरीफा व 16 पेड़ सागौन, एक पेड़ नारियल, व 04, बेल का पेड़, एक पेड़ चीकू व नीम व बड़ा नीबू व कटहल का तीन पेड़, शीशम 3 पेड़ है। जिसका गोरखपुर वन विभाग से शिकायत होने पर वन दरोगा द्वारा रोक दिया गया और उसमें 5 पेड़ का परमीशन लेकर पेड़ों की कटाई कराई गई है, जो खसरा बना हुआ है, उसमें पेड़ों की गिनती कम दर्शाया गया है। प्रार्थी यह जानना चाहता है कि वन विभाग कितने पेड़ों का परमीशन दिया है, व जितने पेड़ कटे हैं, उन्हे मिट्टी से ढंक दिया गया है। पूर्व में कई शिकायती प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है लेकिन वन विभाग द्वारा कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है।

अतः आप श्रीमान् जी से निवेदन है कि गोरखपुर वन विभाग के डी0एफ0ओ0 श्री विकास यादव जी से इसकी आख्या लेते हुए पेड़ों की गिनती करा ली जाए व दोषियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कराने की कृपा प्रदान करें।

प्रार्थी

दिनांकः 02.11.2023

मेराज अहमद

(मेराज अहमद)

मो0–9415304215

FPD-17/54/2022-FPD

/MO

संलग्नक 14

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक गोमी /16एफ–16ए (जनसुनवाई) दिनांक, गोरखपुर, नवम्बर, 29/2023

office Phone/Fax No. 0551-2333108 E-Mail ID- dfogorakhpur@yahoo.co.in

जनसुनवाई

समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली उत्तर प्रदेश

संदर्भ संख्या–40018823042313

श्री मेराज अहमद जी के शिकायती पत्र की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय से कराया गया। क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुख्यालय ने अपने पत्रांक–105/31–1 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदक श्री मेराज अहमद द्वारा अपने आवेदन में गोरखपुर सोनौली मार्ग पर चन्द्रा पेट्रोल पम्प स्थित स्व0 हामिद अली पुत्र स्व0 साजिद अली के बाग में अवैध पातन के सम्बन्ध में शिकायत किया गया है, जांच के क्रम में मौके की जांच किया गया, इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि उक्त स्थल पर एक वृक्ष आम का अवैध पातन हुआ था, जिसके विरूद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–04/10 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज ने रेंज केस संख्या–04/2023–24 दिनांक 22.07.2023 पंजीकृत हुआ है।

श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली द्वारा आराजी संख्या–619 में स्थित वृक्षों में से बेल–01, सागौन–01 एवं आम–03, कुल–05 वृक्षों को कटवाने के लिए पातन परमिट हेतु आवेदन किया गया, फलदार वृक्षों के फलदायी क्षमता के सम्बन्ध में अधीक्षक, राजकीय उद्यान, गोरखपुर द्वारा जांच करायी गयी है, जांचोपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक–1730/37–1 दिनांक 31.10.2023 द्वारा आवेदित 05 वृक्षों को कटवाने हेतु आन लाइन परमिट संख्या–6587240 जारी किया गया।

परमिट धारक द्वारा पातन परमिट में अनुमति दिए गए वृक्षों के अतिरिक्त आम–02, सागौन–02 व नीम–01, कुल–05 वृक्षों का अवैध पातन कराया गया। जिसके विरूद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–4/10 एवं 03/28 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज ने रेंज केस संख्या–09/2023–24 दिनांक 13.11.2023 पंजीकृत किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण में विभिन्न प्रजाति के 05 वृक्षों को कटवाने हेतु पातन परमिट निर्गत किया गया है एवं 06 वृक्षों के अवैध पातन पाए जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी है। भूमि में स्थित वृक्षों की पुष्टि हेतु राजस्व विभाग, द्वारा खसरा निर्गत किया गया है। उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट, उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5–संख्या–24/81–5–2020–07–93 लखनऊ 07–जनवरी–2020 में उल्लिखित निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु भूमि स्वामी के स्तर से आवेदन प्राप्त होने पर जांचोपरान्त पातन परमिट जारी किया जाता है या उक्त प्रतिबन्धित प्रजाति के वृक्षों के अवैध पातन होने पर विधिक कार्यवाही की जाती है। शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु छूट प्रदान किया गया है। शिकायती पत्र में वर्णित अमरूद, लीची, पंजाला, शरीफा, नारियल, चीकू एवं कटहल प्रजाति का वृक्ष उपरोक्त शासनादेश में प्रतिबन्धित श्रेणी में अंकित नहीं है अर्थात छूट प्रजाति का वृक्ष है।

प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर।

Igrs-355

संलग्नक-15

क्रम-संख्या-3

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल
डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार 7 जनवरी, 2020

पौष 17, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5

संख्या 24/81-5-2020-07-93

लखनऊ, 7 जनवरी, 2020

अधिसूचना

प०आ०-2

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1976) की धारा 21 एवं 23 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 2270/14-5-2017-07-93 दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 का अधिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित प्रजातियों के वृक्षों को निपातित किये जाने का प्रतिषेध करती हैं :-

(1) आम (देशी/तुकमी), (2) नीम, (3) साल, (4) महुआ, (5) बीजासाल, (6) पीपल, (7) बरगद, (8) गूलर, (9) पाकड़, (10) अर्जुन, (11) पलाश, (12) बेल, (13) चिरौंजी, (14) खिरनी, (15) कैथा, (16) इमली, (17) जामुन, (18) असना, (19) कुसुम, (20) रीठा, (21) भिलावा, (22) तून, (23) सलई, (24) हल्दू, (25) बाकली/करधई, (26) धौ, (27) खैर, (28) शीशम एवं (29) सागौन और व्यक्तिगत कृषित या अकृषित धृति पर स्थित अन्य प्रजातियों को छूट प्रदान करती हैं।

2-प्रतिषिद्ध प्रजातियों के वृक्ष, दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक अपरिहार्य परिस्थितियों यथा- वृक्ष सूख गया हो या सूख रहा हो या व्यक्ति या सम्पत्ति के लिये खतरा पैदा कर रहा हो या सरकार द्वारा अनुमोदित विकास कार्य के निष्पादन के लिए इसका निपातन किया जाना आवश्यक हो या समुपयोज्य व्यास प्राप्त कर लिया हो अथवा यदि उसकी फलेदारी क्षमता सारभूत रूप से क्षीण हो गयी हो और ऐसे वृक्ष को निपातित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित में अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई हो, के सिवाय निपातित नहीं किये जायेंगे। समुपयोज्य व्यास के लिए प्रमुख वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्य योजना, उत्तर प्रदेश, जैसा और जब अपेक्षित हो, समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर सकता है।

3-निपातित किये जाने वाले वृक्षों और निपातित किये गये वृक्ष के बदले में रोपित किये जाने वाले प्रतिपूरक पौधों का अक्षांश एवं देशान्तर सक्षम अधिकारी से निपातन अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु आवेदन करते समय आवेदन-पत्र में उल्लिखित किया जायेगा तथा तत्पश्चात् ऑनलाइन अभिलिखित किया जायेगा।

4-वृक्ष स्वामी, निपातित किये गये प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर 10 वृक्षों का आरोपण एवं अनुरक्षण करेगा और वृक्ष रोपित न करने की स्थिति में 10 वृक्षों को रोपित किये जाने तथा 05 वर्ष तक उनका अनुरक्षण किये जाने की धनराशि उक्त अधिनियम, सन 1976 की धारा 5 और 7 के अनुसार वृक्ष स्वामी द्वारा वन विभाग को जमा की जायेगी। वन विभाग इस धनराशि का उपयोग वनीकरण के प्रयोजनार्थ करेगा। इससे ऐसी प्रजातियों का संरक्षण करने तथा वृक्षावरण का विस्तार करने में भी सहायता मिलेगी।

5-उत्तर प्रदेश वन निगम, वृक्ष स्वामी को उसकी कृषि भूमि पर अवस्थित वृक्षों के प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करेगा।

आज्ञा से,
सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 24/LXXXI-5-2020-07, 93, dated January 7, 2020 :

No. 24/LXXXI-5-2020-07-93
Dated Lucknow, January 7, 2020

IN exercise of the powers under section 21 and 23 of the Uttar Pradesh Protections of Trees Act, 1976 (U.P. Act no. 45 of 1976) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 4 of 1904) and in supersession of the Government notification no. 2270/XIV-5-2017-07-93, dated October 31, 2017, the Governor is pleased to prohibit felling of the following trees species:-

(I) Aam (Desi/Tukmi), (II) Neem, (III) Sal, (IV) Mahua, (V) Bijasal, (VI) Pipal, (VII) Bargad, (VIII) Gular, (IX) Pakar, (X) Arjun, (XI) Palash, (XII) Bel, (XIII) Chiraunjee, (XIV) Khirnee, (XV) Kaitha, (XVI) Imli, (XVII) Jamun, (XVIII) Asna, (XIX) Kusum, (XX) Ritha, (XXI) Bhilawa, (XXII) Toon, (XXIII) Salai, (XXIV) Haldu, (XXV) Bakali/Kardhai, (XXVI) Dhau, (XXVII) Khair, (XXVIII) Sheesham and (XXIX) Sagaun and exempt other species situated on individual cultivated and un-cultivated holding.

2. Prohibited tree species shall not be felled till dated 31st December, 2025 except under unavoidable circumstances such as tree is dead or dying or it constitutes danger to person or property or its felling is necessary for executing a development work approved by the Government or after attaining exploitable diameter or if the fruit bearing capacity of such tree has declined substantially and permission to fell such tree has been obtained in writing from the competent authority. For exploitable diameter, Principal Chief Conservator of Forests, Monitoring and Working Plan, Uttar Pradesh may issue guidelines from time to time, as and when required.

3. Longitude and Latitude of trees to be felled and compensatory saplings to be planted (*in lieu of* felled trees) shall be mentioned in the application from while applying for obtaining felling permission form the Competent Authority and subsequently recorded online.

4. The tree owner shall plant and maintain 10 trees in place of each tree felled and in case of not planting trees the amount of money for plantation of 10 trees and their maintenance for 5 years shall be deposited by the tree owner to the Forest Department, as per section 5 and 7 of the said Act of 1976. Forest Department will utilise this amount for afforestation purposes. This will help conserve such species and expansion of tree cover too.

5. Uttar Pradesh Forest Corporation will facilitate the tree owner for certification of standing trees on his farm land.

By order,
SUDHIR GARG,
Pramukh Sachiv

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 549 राजपत्र-(हिन्दी)-2020-(1335)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० पर्यावरण-2020-(1336)-1000 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री जी,
उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।

विषयः वन विभाग के बिना परमीशन के अवैध कटान किए जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

सादर आपको अवगत कराना है कि थाना–गोरखनाथ, सोनौली रोड, चन्द्रा पेट्रोल पम्प स्थित स्व0 हामिद अली पुत्र स्व0 साजिद अली जी का बागीचा है जिसमें 75 पेड़ अमरूद, 17 पेड़ आम, 3 पेड़ लीची, 1 पेड़ पंजाला व शरीफा व 16 पेड़ सागौन, एक पेड़ नारियल, व 04, बेल का पेड़, एक पेड़ चीकू व नीम व बड़ा नीबू व कटहल का तीन पेड़, शीशम 3 पेड़ है। जिसका गोरखपुर वन विभाग से शिकायत होने पर वन दरोगा द्वारा रोक दिया गया और उसमें 5 पेड़ का परमीशन लेकर पेड़ों की कटाई कराई गई है, जो खसरा बना हुआ है, उसमें पेड़ों की गिनती कम दर्शाया गया है। प्रार्थी यह जानना चाहता है कि वन विभाग कितने पेड़ों का परमीशन दिया है, व जितने पेड़ कटे हैं, उन्हे मिट्टी से ढंक दिया गया है। पूर्व में कई शिकायती प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है लेकिन वन विभाग द्वारा कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है।

अतः आप श्रीमान् जी से निवेदन है कि गोरखपुर वन विभाग के डी0एफ0ओ0 श्री विकास यादव जी से इसकी आख्या लेते हुए पेड़ों की गिनती करा ली जाए व दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कराने की कृपा प्रदान करें।

प्रार्थी

दिनांकः 02.11.2023

मेराज अहमद
(मेराज अहमद)

मो0–9415304215

24/MO

सेवा में,

माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण

भारत सरकार नई दिल्ली।

विषय : अवैद्य रूप से पेड़ो को काट कर जिला गोरखपुर के वन अधिकारियों के सह पर पेड़ों को काट कर मिट्टी से ढंक देने वह मुकदमा 4 आदमी की जगह 1 आदमी पर मुकदमा ना लिखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत करा रहा हूं कि राज्य उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर दिनांक 02.11.2023 को शिकायत दर्ज कराया था। जिसका पोर्टल संख्या 4001882304313 है। जिस पर गोरखपुर के क्षेत्रिय वन मुख्यालय द्वारा लेखपाल के खसरे के आधार पर क्षेत्रिय वन अधिकारी द्वारा 5 पेड़ हरे–भरे व फलदार पेड़ का परमिशन काटने का दे दिया गया। वह 6 पेड़ अवैद्य रूप से काटने पर उत्तर प्रदेश वन अधिनियम 1976 की धारा 4/10 एवं 03/28 के तहत मुकदमा पंजिकृत किया गया है। परंतु आप श्रीमान् जी को बता रहा हूं कि लेखपाल द्वारा जो खसरा बनाया गया है। जिसमें पहला खसरा में पेड़ों की गिनती कम दिखाया गया है। जब इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर दर्ज कराया गया। तब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राजस्व परिषद को इसकी जांच कर रिपोर्ट लगाने के लिये निर्देशित किया गया। तब लेखपाल ने दूसरा खसरा रिपोर्ट लगाया उसमें अमरूद व अन्य पेड़ों को दर्शाया गया।

यह दोनों खसरा अलग–अलग दिनांक का है। जिसमें लेखपाल व राजस्व परिषद के उच्च अधिकारियों वह गोरखपुर वन विभाग की भूमिका संदिग्ध है। गोरखपुर वन विभाग द्वारा जो 6 पेड़ अवैद्य रूप से कटा हुआ है। उसी के आधार पर वन विभाग ने मात्र एक व्यक्ति के ही ऊपर मुकदमा पंजिकृत किया है। खसरा में 4 फरीक हैं और इन्हीं चार फरीकों के द्वारा दिनांक 02.08.2023 को बिल्डर विकास केजरीवाल को 51–51–51 लाख रूपया लेकर पांच वर्ष के लिये कामर्शिलय बिल्डिंग वह माल बनाने के लिये एग्रिमेंट किया है। जिसमें इन चारों फरीक वह बिल्डर 50–50 के पार्टनर हैं। जिसके नाते पुरे बागिचे को काटने का कार्य करवा रहे है। इस सम्बन्ध में कई सारे प्रार्थना पत्र पूर्व में आप श्रीमान् जी को भेजा गया है। परंतु अभी तक कोई भी कार्यवाही नही हो पायी है। गोरखपुर वन विभाग गलत रिर्पोट पर मुकदमा लिखा है। तथा जिन पेडों को काटा गया है। अवैद्य रूप से वह जो परमिशन दिया गया है। 5 पेड़ों का उन पेड़ों का लाइफ व कंडिशन कहीं भी नहीं दर्शाया गया है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि गोरखपुर वन विभाग किस तरह कार्य कर रही है। तथा जो पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी व उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो अभियान पूरे

2024/MO

भारत में वृक्षारोपण अभियान चला कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का योजना चल रही है उसको भंग करने का कार्य गोरखपुर के वन विभाग कर रही है।

अतः आप श्रीमान् जी से अनुरोध है कि

तत्काल प्रभाव से मामले में हस्तक्षेप करते हुये उत्तर प्रदेश वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को आदेशित करते हुये इसकी जांच किसी अन्य एजेन्सी से करा लिया जाए। जिससे सच्चाई सामने आ सके तथा उपरोक्त लोगों को खसरे के आधार पर बचे हुये 3 लोगों पर मुकदमा पंजिकृत करने के लिये आदेशित करने की कृपा।

दिनांक : 29.12.2023

<u>संलग्नक छाया प्रतिलिपिः</u>

1. उत्तर प्रदेश वन मंत्री उ0प्र0 वन एवं पर्यावरण सरकार, लखनऊ। ✓
2. प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण उ0प्र0 शासन लखनऊ। ✓

(3) उ0प्र0 सीबीआई भ्रष्टाचार निवारण लखनऊ

प्रार्थी

मेराज अहमद उर्फ सुड्डू

मेराज अहमद उर्फ सूड्डू

मोहल्ला–लच्छीपुर–खास,

थाना–गोरखनाथ

तहसील–सदर

जिला–गोरखपुर

मो0नं0 9415304215

संलग्नक 17

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर, उप वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक 579 /16–1 दिनांक, गोरखपुर, मार्च, 28 / 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर।

विषयः– गोरखपुर के वनक्षेत्र में वन अधिकारियों के मिलीभगत से पेड़ों की अवैध कटाई कर साक्ष्यों को मिटाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा, सतर्कता एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–507 / 16–52–1 दिनांक 17.01.2024 पर पृष्ठांकित आपका पत्रांक–1863 / 16एफ–16ए दिनांक 07.02.2024

महोदय,

निवेदन है कि श्री मेराज अहमद का शिकायती पत्र दिनांक 02.11.2023 उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा जाच हेतु अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में गोरखपुर सोनौली मार्ग पर चन्दा पेट्रोल पम्प के पास स्थित स्व0 हामिद अली पुत्र स्व0 साजिद अली के बाग में अवैध पातन के सम्बन्ध में शिकायत किया गया है। चूँकि प्रकरण मुख्यालय रेंज गोरखपुर से सम्बन्धित है इसलिये प्रकरण की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय से करायी गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय ने अपने पत्रांक–200 / 31–1 दिनांक 24.03.2024 द्वारा अपनी जांच आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। (प्रति संलग्न है।) अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त आख्या का परीक्षण किया गया। जांच आख्या निम्न प्रकार हैः–

इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि उक्त स्थल पर एक वृक्ष आम का अवैध पातन हुआ था, जिसके विरूद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–04 / 10 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज ने रेंज केस संख्या–04 / 2023–24 दिनांक 22.07.2023 पंजीकृत हुआ है।

श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली द्वारा आराजी संख्या–619 में स्थित बेल–01, सागौन–01 एवं आम–03, कुल–05 वृक्षों को कटवाने के लिए पातन परमिट हेतु आवेदन किया गया, फलदार वृक्षों के फलदायी क्षमता के सम्बन्ध में अधीक्षक, राजकीय उद्यान, गोरखपुर द्वारा जांच करायी गयी है, जांचोपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक–1730 / 37–1 दिनांक 31.10.2023 द्वारा आवेदित 05 वृक्षों को कटवाने हेतु आन लाइन परमिट संख्या–6587240 जारी किया गया।

परमिट धारक द्वारा पातन परमिट में अनुमति दिए गए वृक्षों के अतिरिक्त आम–02, सागौन–02 व नीम–01, कुल–05 वृक्षों का अवैध पातन कराया गया जिसके विरूद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–4 / 10 एवं अभिवहन नियमावली 1978 की धारा 03 / 28 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज ने रेंज केस संख्या–09 / 2023–24 दिनांक 13.11.2023 पंजीकृत किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण में विभिन्न प्रजाति के 05 वृक्षों को कटवाने हेतु पातन परमिट निर्गत किया गया है एवं 06 वृक्षों के अवैध पातन पाए जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी है। भूमि में स्थित वृक्षों की पुष्टि हेतु राजस्व

भाग, द्वारा खसरा निर्गत किया गया है। उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट, उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग--5-संख्या--24/81-5-2020-07--93 लखनऊ 07-जनवरी-2020 में उल्लिखित निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु भूमि स्वामी के स्तर से आवेदन प्राप्त होने पर जांचोपरान्त पातन परमिट जारी किया जाता है या उक्त प्रतिबन्धित प्रजाति के वृक्षों के अवैध पातन होने पर विधिक कार्यवाही की जाती है। शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु छूट प्रदान किया गया है। शिकायती पत्र में वर्णित अमरूद, लीची, पंजाला, शरीफा, नारियल, चीकू एवं कटहल प्रजाति का वृक्ष उपरोक्त शासनादेश में प्रतिबन्धित श्रेणी में अंकित नही है अर्थात छूट प्रजाति का वृक्ष है। उपरोक्त शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृपित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु अनुमति लेने की आवश्यकता नही है।

शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में उल्लेख किया गया है कि खसरा में चार फरीक है। लेकिन वन विभाग द्वारा एक व्यक्ति के विरूद्व मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा यह कहना कि शेष तीन फरीक के नाम से मुकदमा पंजीकृत किया जाय। इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि उक्त स्थल पर एक वृक्ष आम का अवैध पातन पाये जाने पर मुख्यालय रेंज के अन्तर्गत रेंज केस संख्या--04/2023--24 दिनांक 22.07.2023 पंजीकृत हुआ है। चूँकि श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली के आवेदन पर विभिन्न प्रजाति के पांच वृक्षों को कटवाने हेतु पातन परमिट जारी किया गया हैं अनुमति दिये गये पांच वृक्षों के अतिरिक्त विभिन्न प्रजाति के पांच वृक्षों का अवैध पातन परमिट धारक श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली द्वारा कराया गया। इस लिये परमिट धारक के नाम से रेंज केस संख्या--09/2023--24 दिनांक 13.11.2023 पंजीकृत किया गया है। रेंज केस जांच की प्रकिया में है। जांच के दौरान यदि अन्य कोई दोषी पाया जाता है तो उसका नाम केस मे अभियुक्त के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।

अतः जांच आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(डा0 हरेन्द्र सिंह)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर उप वन प्रभाग, गोरखपुर।

संख्या 579 अ/दिनांकित

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 हरेन्द्र सिंह)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर उप वन प्रभाग, गोरखपुर।

कार्यालय- क्षेत्रीय वनाधिकारी, [illegible] वन प्रभाग, जौनपुर

पत्रांक- 250 / 3-1, दिनांक, मुख्यालय, मार्च- 24/2024

सेवा में,

उप प्रभागीय वनाधिकारी

जौनपुर (उप वन प्रभाग)

जौनपुर

विषय- जौनपुर के वन क्षेत्र में वन अधिकारियों की मिली भगत से हो रही की अवैध कटाई का पाइमों की स्थिति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आप का पत्रांक- 572/ 3-1 दिनांक- 20/03/2024

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्न श्री [illegible] अहमद के शिकायती पत्र दिनांक- 02/11/2023 में शिकायत कर्ता द्वारा [illegible] के शिकायती पत्र में जौनपुर [illegible] पुत्र [illegible] के नाम से अवैध पातन के सम्बन्ध [illegible] पुत्र [illegible] की भूमि में उल्लेख करता है कि [illegible] से शिकायत किया गया है, इस सम्बन्ध में [illegible] अवैध पातन हुआ था, जिसके विरुद्ध मुख्यालय [illegible] पर एक [illegible] का अवैध पातन हुआ था [illegible] 1976 की धारा- 4/10 के तहत के अन्तर्गत उ०प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम [illegible] पंजीकृत हुआ [illegible] केस संख्या- 04/2023-24 दिनांक- 22/03/2023 [illegible] है।

श्री [illegible] पुत्र [illegible] द्वारा [illegible] ग्राम [illegible] स्थित गाटा संख्या- 617 में स्थित [illegible] कुल-(05) वृक्षों की कटाई के लिए पातन परमिट हेतु आवेदन किया [illegible] वृक्षों के [illegible] के सम्बन्ध में [illegible] जाती है, [illegible] जौनपुर द्वारा [illegible] प्रभागीय वनाधिकारी, जौनपुर के पत्रांक- 1730/ 3-1 दिनांक 31/10/23 द्वारा आवेदित (05) वृक्षों की कटाई हेतु [illegible] परमिट संख्या- 65,072.40 जारी किया गया।

[illegible]

परमिट धारक श्री मo इरशाद पुत्र हामिद अली द्वारा पातन परमिट में अनुमति दिए गए वृक्षों के अतिरिक्त आम-(02), सागौन-(02) व नीम-(01) कुल-(05) वृक्षों का अवैध पातन कराया गया जिसके विरुद्ध उ०प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 की धारा-04/10 एवं अभिवहन नियमावली 1978 की धारा-03/20 के तहत न्यायालय रेंज में रेंज केस संख्या-09/2023-24 दिनांक-13/11/2023 पंजीकृत किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण में विभिन्न प्रजाति के (05) वृक्षों को कटवाने हेतु पातन परमिट निर्गत किया गया है एवं विभिन्न प्रजाति के (06) वृक्षों का अवैध पातन पाए जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी है, भूमि में स्थित वृक्षों के स्वामित्व की पुष्टि हेतु राजस्व विभाग द्वारा प्रमाण निर्गत किया गया है। उ०प्र० सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट, उ०प्र० शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-05-संख्या-24/81-5-2020-07-93 लखनऊ-07 जनवरी-2020 में उल्लिखित निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित प्रतिबन्धित-(29) प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु भूमि स्वामी के द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर जांचोपरान्त पातन परमिट जारी किया जाता है या उक्त प्रतिबन्धित (29) प्रजाति के वृक्षों का अवैध पातन होने पर विधिक कार्यवाही की जाती है। उक्त शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धित (29) प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु छूट प्रदान किया गया है। शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक-02/11/2023 में वर्णित आम०, लीची, पंजाला, शालिका, नाशपाती, चीकू एवं कटहल प्रजाति का वृक्ष उपरोक्त शासनादेश-

क्रमशः (3) पर

प्रति वाछित श्रेणी में अंकित नहीं है अर्थात वृक्ष प्रजाति प्रति वाछित (29) प्रजाति का वृक्ष है। उपरोक्त शासनादेश में वर्णित प्रति वाछित (29) प्रजाति के अतिरिक्त किसी प्रतिबंधित या अप्रतिबंधित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

शिकायत कर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में उल्लेख किया गया है कि जिसमें (04) पेड़ है लेकिन वन विभाग द्वारा (01) व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शिकायत कर्ता द्वारा यह कहना कि शेष (03) पेड़ के नाम से मुकदमा पंजीकृत किया जाय इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि (01) शीशम का अवैध पातन श्री मसऊद पुत्र हाजिद अली द्वारा किया गया था इसलिए इनके नाम से वन केस संख्या- 04/2023-24 दिनांक 22/07/2023 पंजीकृत हुआ है चूंकि श्री मसऊद पुत्र हाजिद अली के आवेदन पर विभिन्न प्रजाति के (05) वृक्षों को कटवाने हेतु पातन परमिट जारी किया गया तथा इन्ही के द्वारा अनुमति दिए गए (05) वृक्षों के अतिरिक्त विभिन्न प्रजाति के (05) वृक्षों का अवैध पातन कराया गया इसलिए परमिट धारक के नाम से वन केस संख्या- 07/23-24 दिनांक 13/11/2023 पंजीकृत किया गया है केस जांच की प्रक्रिया में है जांच के दौरान यदि अन्य कोई दोषी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। अतः आख्या श्रीमान जी की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

भवदीय

(हिमांशु गौड़)
वन दरोगा

([illegible])
बीट प्रभारी

क्षेत्रीय वनाधिकारी
[illegible] रेंज
... वन प्रभाग

ANNEXURE A-2

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 21736320210157

ग्राम क्रमांक 217363 ग्राम का नाम / परगना : लक्ष्मीपुर(हवेली) तहसील : सदर जनपद : गोरखपुर फसली वर्ष : 1423-1428 भाग : 1

खाता संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	मौलिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।							
01899	हामिदअली / साजिद अली / . तारिक सईद / हामिदअली / . आसिफ सईद / हामिदअली / . महबूब सईद / हामिदअली / सा.काजीपुर खुर्द श्रीमती तलत फातिमा / हामिद अली पुत्री पत्नि इरफान / नि.गांधीनगर शहर बस्ती	1360फ	619मि.	0.9640		आर0 सी0 9 स0 नि0 वरासत वाद सं0 202051880095000 2163/10.12.2020 खाता सं0 676 व 1899 व 1897 व 1900 व 1898 से मृतक मुहम्मद साजिद अली पुत्र मुहम्मद साजिद अली के स्थान पर अजीज फातमा पत्नी मुहम्मद हामिद अली व तलत फातिमा पुत्री मुहम्मद हामिद अली पत्नी टी0आर0 रहमान (विवाहित पुत्री) व मोहम्मद तारिक सईद व आसिफ सईद व महबूब सईद पुत्रगण मोहम्मद हामिद अली का नाम बतौर वारिस दर्ज हो।	
			1	0.9640	₹ 23.80	1	0

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव नौ छ: चार शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - दो तीन दशमलव अठ शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: UMESH DWIVEDI

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

सक्षम अधिकारी: DHANUSHDHARI SINGH

तहसील: सदर जनपद: गोरखपुर

दिनांक एवं समय: 13-01-2021 04:28:08

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

ग्रहण-02

ग्राम अचकपुर (?) .... तप्पा .... परगना .... तहसील .... जिला गोरखपुर बाबत फसली-14 2

[illegible]	क्षेत्रफल	खतौनी खाते की संख्या	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 2 के अनुसार खातेदार का नाम	सिंचाई की रीति व कुयें	कृषि फसली वाली भूमि का क्षेत्रफल									दो फसली क्षेत्रफल		अधिकृत भूमि का ब्योरा		क्षेत्र के खड़े हुए वृक्षों की संख्या व किस्म	टिप्पणी
						खरीफ			रबी			जायद								
						फसल का नाम	सिंचित	असिंचित	फसल का नाम	सिंचित	असिंचित	फसल का नाम	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१
६	2.302	६९६ / 0-६६४	तारिक सईद व आबिद सईद व महबूब सईद व अजीज फातमा व मो० तारिक सईद व आबिद सईद व महबूब सईद पुत्र गण १(क)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	बागात / आबादी / परती	0-220 / 0.020 / 0.924	आम / ०६ ; कटहल / 09 ; सागौन / 03 ; नीम / 09	

प्रतिलिपि सत्य है ... [illegible]

(हस्ताक्षर) 22/07/23

संलग्नक - 03

ANNEXURE -A-3

क्रम-संख्या–3

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार 7 जनवरी, 2020

पौष 17, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5

संख्या 24 / 81-5–2020-07-93

लखनऊ, 7 जनवरी, 2020

अधिसूचना

प०आ०–2

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1976) की धारा 21 एवं 23 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 2270 / 14-5–2017-07-93 दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 का अधिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित प्रजातियों के वृक्षों को निपातित किये जाने का प्रतिषेध करती हैं :–

(1) आम (देशी / तुकमी), (2) नीम, (3) साल, (4) महुआ, (5) बीजासाल, (6) पीपल, (7) बरगद, (8) गूलर, (9) पाकड़, (10) अर्जुन, (11) पलाश, (12) बेल, (13) चिरौंजी, (14) खिरनी, (15) कैथा, (16) इमली, (17) जामुन, (18) असना, (19) कुसुम, (20) रीठा, (21) भिलावा, (22) तून, (23) सलई, (24) हल्दू, (25) बाकली / करधई, (26) धौ, (27) खैर, (28) शीशम एवं (29) सागौन और व्यक्तिगत कृषित या अकृषित धृति पर स्थित अन्य प्रजातियों को छूट प्रदान करती हैं।

2–प्रतिषिद्ध प्रजातियों के वृक्ष, दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक अपरिहार्य परिस्थितियों यथा– वृक्ष सूख गया हो या सूख रहा हो या व्यक्ति या सम्पत्ति के लिये खतरा पैदा कर रहा हो या सरकार द्वारा अनुमोदित विकास कार्य के निष्पादन के लिए इसका निपातन किया जाना आवश्यक हो या समुपयोज्य व्यास प्राप्त कर लिया हो अथवा यदि उसकी फलेदायी क्षमता सारभूत रूप से क्षीण हो गयी हो और ऐसे वृक्ष को निपातित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित में अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई हो, के सिवाय निपातित नहीं किये जायेंगे। समुपयोज्य व्यास के लिए प्रमुख वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्य योजना, उत्तर प्रदेश, जैसा और जब अपेक्षित हो, समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर सकता है।

3-निपातित किये जाने वाले वृक्षों और (निपातित किये गये वृक्ष के बदले में) रोपित किये जाने वाले प्रतिपूरक पौधों का अक्षांश एवं देशान्तर सक्षम अधिकारी से निपातन अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु आवेदन करते समय आवेदन-पत्र में उल्लिखित किया जायेगा तथा तत्पश्चात् ऑनलाइन अभिलिखित किया जायेगा।

4-वृक्ष स्वामी, निपातित किये गये प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर 10 वृक्षों का आरोपण एवं अनुरक्षण करेगा और वृक्ष रोपित न करने की स्थिति में 10 वृक्षों को रोपित किये जाने तथा 05 वर्ष तक उनका अनुरक्षण किये जाने की धनराशि उक्त अधिनियम, सन् 1976 की धारा 5 और 7 के अनुसार वृक्ष स्वामी द्वारा वन विभाग को जमा की जायेगी। वन विभाग इस धनराशि का उपयोग वनीकरण के प्रयोजनार्थ करेगा। इससे ऐसी प्रजातियों का संरक्षण करने तथा वृक्षावरण का विस्तार करने में भी सहायता मिलेगी।

5-उत्तर प्रदेश वन निगम, वृक्ष स्वामी को उसकी कृषि भूमि पर अवस्थित वृक्षों के प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करेगा।

आज्ञा से,
सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 24/LXXXI-5-2020-07, 93, dated January 7, 2020 :

No. 24/LXXXI-5-2020-07-93
Dated Lucknow, January 7, 2020

IN exercise of the powers under section 21 and 23 of the Uttar Pradesh Protections of Trees Act, 1976 (U.P. Act no. 45 of 1976) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 4 of 1904) and in supersession of the Government notification no. 2270/XIV-5-2017-07-93, dated October 31, 2017, the Governor is pleased to prohibit felling of the following trees species:-

(I) Aam (Desi/Tukmi), (II) Neem, (III) Sal, (IV) Mahua, (V) Bijasal, (VI) Pipal, (VII) Bargad, (VIII) Gular, (IX) Pakar, (X) Arjun, (XI) Palash, (XII) Bel, (XIII) Chiraunjee, (XIV) Khirnee, (XV) Kaitha, (XVI) Imli, (XVII) Jamun, (XVIII) Asna, (XIX) Kusum, (XX) Ritha, (XXI) Bhilawa, (XXII) Toon, (XXIII) Salai, (XXIV) Haldu, (XXV) Bakali/Kardhai, (XXVI) Dhau, (XXVII) Khair, (XXVIII) Sheesham and (XXIX) Sagaun and exempt other species situated on individual cultivated and un-cultivated holding.

2. Prohibited tree species shall not be felled till dated 31st December, 2025 except under unavoidable circumstances such as tree is dead or dying or it constitutes danger to person or property or its felling is necessary for executing a development work approved by the Government or after attaining exploitable diameter or if the fruit bearing capacity of such tree has declined substantially and permission to fell such tree has been obtained in writing from the competent authority. For exploitable diameter, Principal Chief Conservator of Forests, Monitoring and Working Plan, Uttar Pradesh may issue guidelines from time to time, as and when required.

3. Longitude and Latitude of trees to be felled and compensatory saplings to be planted (*in lieu of* felled trees) shall be mentioned in the application from while applying for obtaining felling permission form the Competent Authority and subsequently recorded online.

4. The tree owner shall plant and maintain 10 trees in place of each tree felled and in case of not planting trees the amount of money for plantation of 10 trees and their maintenance for 5 years shall be deposited by the tree owner to the Forest Department, as per section 5 and 7 of the said Act of 1976. Forest Department will utilise this amount for afforestation purposes. This will help conserve such species and expansion of tree cover too.

5. Uttar Pradesh Forest Corporation will facilitate the tree owner for certification of standing trees on his farm land.

By order,
SUDHIR GARG,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 549 राजपत्र-(हिन्दी)-2020-(1335)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० पर्यावरण-2020-(1336)-1000 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

पु० सं० 24 | फार्म नं० एच–2 | 67 पृष्ठ सं० [illegible]-04

ANNEXURE-A-4

वन विभाग उत्तर प्रदेश

पूर्वी वृत्त–गोरखपुर

वन प्रभाग–गोरखपुर

वन अपराध– उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 .... बीट [illegible]

रिपोर्ट नं० .... दिनांक 22-7-2023 रेंज [illegible] 20 20

रेंज केस संख्या 04/2023-24 20

1– अभियुक्तों के नाम, पिता के नाम तथा पता : (1) [illegible] S/O [illegible] ग्राम [illegible] थाना – [illegible] जिला – गोरखपुर (2) [illegible] S/O [illegible] ग्राम – [illegible] थाना – [illegible] गोरखपुर

2– गवाहों के नाम आत्मज तथा पता (1) [illegible] वर्मा (चौकीदार) (2) स्वयं (नरेन्द्र कुमार व०र०)

3– कथित अपराधों का पूरा विवरण [illegible] में एक [illegible] को अवैध तरीके से जड़ से काटकर [illegible] में परिवर्तित करते समय पकड़ा जाना। आम बोटों का नाप विवरण —

(1) 1.25×1.25 जड़ (2) 1.33×1.68 (3) 1.30×1.50
(4) 1.45×1.45 (5) 1.85×1.10 (6) 1.28×1.10
(7) 1.85×0.90 (8) 1.30×1.10 (9) 1.30×1.00

4– अपराध के समय यदि अपराधी का कोई समान अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया हो तो उसका विवरण

5– कुल हानि का मूल्यांकन

6– बरामद की गई लकड़ियों का विवरण एवं रखने का स्थान

7– चालान एवं जांच के सम्बन्ध में विशेष कथन

महोदय,
निवेदन है कि आज दिनांक 22-7-23 लगभग 3:00 PM मुखबीर खास द्वारा सूचना मिली की [illegible] S/O [illegible] निजि बाग में एक पेड़ हरा आम काटकर बोटा बनाया जा रहा है यदि आप लोग जल्दी आये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास करते हुये [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] में पहुंचकर [illegible] गया तो एक पेड़ आम [illegible] परिवर्तित [illegible] पाया गया [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] मौके पर [illegible] तैयार किया गया [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] S/O [illegible] निवासी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की कार्यवाही [illegible] [illegible]

केस काटने वाले का हस्ताक्षर

पद .... (नरेन्द्र कुमार) व०र०

दिनांक : 22-7-2023

संलग्नक-05

ANNEXURE-A-5

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर।

महोदय

निवेदन है कि मैं महबूब सईद पुत्र श्री हामिद अली निवासी–छोटे काजीपुर खुर्द, पो0–सदर, थाना–कोतवाली, जनपद–गोरखपुर का स्थायी निवासी हूँ। मैं अपने निजी भूमि राजस्व ग्राम–लच्छीपुर, थाना–गोरखनाथ, जिला–गोरखपुर के अराजी सं0 –619 मि. रकबा–0.964 हे0 में स्थित झाड़ी–झंखाड़ को साफ कराने के लिए श्री इस्लाम पुत्र मजीद निवासी – जंगल बहादुर अली थाना– चिलुआताल को दिया गया था। इस्लाम द्वारा झाड़ी की सफाई कराते समय दिनांक –27.07.2023 को एक पेड़ आम गलती से काट दिया गया। चूँकि उक्त आम का वृक्ष मेरे निजी भूमि में स्थित था इसलिए एक वृक्ष आम जो इस्लाम द्वारा गलती से कटवा दिया गया था के सम्बन्ध में मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ तथा मैं अपनी मर्जी से जुर्माना जमा करना चाहता हूँ।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी से जुर्माना जमा कराने की कृपा करें।

प्रार्थी
महबूब सईद
(महबूब सईद)
निवासी–छोटे काजीपुर खुर्द,
पो0–सदर, थाना–कोतवाली,
जनपद–गोरखपुर

दिनांक–28.07.2023

संलग्नक-06

ANNEXURE-A-6

आकृत निगमन

वन विभाग, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, उ०प्र०

-3 बुक नं० 13095 2.N 01/08/23 नं० 29

न प्रभाग .... दिनांक ....

.... हरीश पुत्र स्व. ... से
.... प्राप्त किया।

रुपया 7000/-

बाबत ....

दिनांक .... प्राप्तकर्ता हस्ताक्षर

पद नाम ....

मुख्यालय ....

..........2023

आवेदन सं॰ - 30037240
दिनांक - 21-10-2023

श्री नरेन्द्र कुमार 240
कृपया मौके की जाँच
जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करें

अनुलग्नक-एक (भाग एक)

27-04-11-23

संलग्नक 07

ANNEXURE A-07

क्र संख्या 11

वन प्रभाग का नाम...

फार्म संख्या......1091........................ वित्तीय वर्ष..................................

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के अधीन वृक्ष गिरने की अनुज्ञा के लिए

आवेदन

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम (यथा संसोधित) 1976 की धारा 5 (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित

सेवा में,

उप प्रभागीय वन अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी- निदेशक/ तहसीलदार / उद्यान निरीक्षक /

....जिला..................

महोदय,

मैं/ हम.....महबूब सईद........................पुत्र श्री.....हामिद अली.................निवासी ग्राम.....छोटे काजी पुर डाक सदर.........तहसील.....सदर.........थाना.....कोतवाली.....जिला.....गोरखपुर ....अपने निजी कास्त के वृक्ष (वृक्षों) को गिराना और हटाना चाहता हूँ/ चाहते है, तो नीचे दिये गये विवरण के अनुसार तहसील.....सदर.............................थाना.....गोरखनाथ............ जिला.....गोरखपुर.........में पड़ने वाली मेरी/हमारी भूमि के प्लाट सं0.....619 मी॰.....रकबा.....0.964.......... ....ग्राम.....रसूलपुर..............में स्थित है-

क्र0 सं0	वृक्ष की प्रजाति	छाती की ऊँचाई पर वृक्ष के तने का व्यास (सेमी)	वृक्ष को गिराने/हटाने का कारण
1	2	3	4
1.	सागौन हरा	1.50 मी॰	मकान बनवाने हेतु
2.	बेल हरा	2.63 मी॰	
3.	आम हरा	2.08 मी॰	
4.	आम हरा	2.45 मी॰	
5.	आम हरा	1.90 मी॰	
			नरेन्द्र कुमार वन दरोगा

अनुलग्नक एक (भाग-दो)

जाँच रिपोर्ट

..र प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम (यथा संशोधित) 1976 की धारा 5 (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी-निदेशक/ जिला उद्यान अधिकारी /पुख्य निकास अधिकारी/ अपर जिला मजिस्ट्रेट (विकास)..............................जिला..........................उ0प्र0

आवश्यक जाँच करने के पश्चात में अधोहस्ताक्षरी, सत्यापित करता हूँ कि आवेदक श्री..........महबूब सईद.....पुत्र श्री.....हाफिज अली......निवासी ग्राम....छोटे काजीपुर......... डाक........सदर.................थाना..कोतवाली.....तहसील...सदर...............जिला...गोरखपुर..... ने आवेदन पत्र (भाग) में सही और सूचना दी है। मैंने उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के उपबन्धों को पढ़ लिया है, और उक्त वृक्ष / वृक्षों को गिराने / हटाने की अनुज्ञा जारी करने से अधिनियम का उल्लंघन नहीं होगा।

या

आवश्यक जाँच करने के पश्चात मेरी राय है कि ऊपर उल्लिखित आवेदक द्वारा प्रस्तुत गिराने की अनुज्ञा का आवेदन, निम्नलिखित आधार (आधारों) पर अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

1.

2.

उपर्युक्त रिपोर्ट के साथ आवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया जाता है।

हस्ताक्षर

नाम नरेन्द्र कुमार

पद नाम वनरक्षक

सेक्शन / रेंज का नाम मुख्यालय

मुहर

दिनांक 1-10-2023

स्थान

टिप्पणी-

1. उपर्युक्त सिफारिश उपर्युक्त विहित निदर्शनपत्र में ही विधि मान्य होगी।
2. जाँच अधिकारी आवश्यक विधिक कार्यवाही का दायी होगा यदि वह गलत/ असत्य सिफारिश प्रस्तुत करता है।
3. कृपया जो प्रयोज्य न हो उसे काट दीजिए।

2. मैं/हम वृक्षों को गिराने के तुरन्त पश्चात आने वाली वर्षा ऋतु की समाप्ति से पूर्व.................................
प्रजाति सं0.. के वृक्षों का रोपण और संरक्षण करने का वचन देता हूँ / देते है
3. मै/ हम उपर्युक्त वृक्ष (वृक्षों) को गिराऊँगा और हटाऊँगा/गिरायेंगे और हटायेंगे या मैं/ हम श्री.................................
....निवासी ग्राम...
......................पुत्र श्री...
डाक...तहसील..जिला.................................
उपर्युक्त वृक्ष/वृक्षों को गिराने और हटाने के लिए अधिकृत करूँगा/ करेंगे जिसके लिए नोटरी द्वारा सत्यापित.............
....रुपये के न्यायिकेतर स्टाम्प पत्र इसके साथ संलग्न है
4. मैं/हम प्रत्येक गिरे हुए वृक्ष के लिए दो पौधों के रोपण और पश्चातवर्ती देख-रेख की प्रतिभूति स्वरूप प्रति पौधा 1200/-
रूपये की दर से.. रूपये डाकघर बचत बैंक पासबुक/ राष्ट्रीय बचत पत्र, जो सक्षम
प्राधिकरण के पदनाम से गिरवी रखी गयी है, संलग्न करता हूँ/ करते है
5. मैं/हम वृक्ष को गिराने या आवेदन की अस्वीकृत के सम्बन्ध में रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय का
पत्र व्यवहार करने के लिए अपना पता युक्त स्टाम्पित लिफाफा संलग्न करता हूँ/करते है
6. मैने/हमने उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के उपबन्धों को पढ़ लिया है और मै/हम उनका पालन करूँगा/करेंगे
7. मैं/ हम सत्यापित करता हूँ/ करते है कि उपर्युक्त सूचनाएं मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही और सत्य है
8. अनुरोध है कि उपर्युक्त वृक्ष/ वृक्षों को गिराने / हटाने की सिफारिश इस आवेदन पत्र के भाग-दो में विहित प्रपत्र में सक्षम
प्राधिकरी को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-

1. प्रतिभूति के रूप में डाकघर बचत पास बुक/राष्ट्रीय बचत पत्र (मूल रूप में)।
2. अपना पता युक्त और स्टाम्पित रसीदी रजिस्ट्री डाक का लिफाफा।
3. मूल रूप में न्यायिकेतर स्टाम्प पत्र पर नौटरी द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा (यदि लागू हो)

हस्ताक्षर प्रमाणित

आवेदक का हस्ताक्षर...महबूब सईद...

① - [signature]
② - T. Sayeed
③ आसिफ सईद

नाम...महबूब सईद...
निवासी ग्राम...छोटे काजीपुर...डाक...सदर...
तहसील...सदर...थाना...कोतवाली
जिला...गोरखपुर...
पिन कोड...........................

दिनांक...1.10.2023...

MONo 9721065463

स्थान...छोटे काजीपुर...

टिप्पणी-

1. वन विभाग से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र ही मान्य होगा। फोटो प्रतियां स्वीकार नहीं होगे।
2. अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

पत्रांक 75/ क्रम दिनांक 12/10/2023
उप प्रभा० वना०
गोरखपुर

महोदय,
श्री नरेन्द्र कुमार वन रक्षक की जांच/संस्तुति से सहमत होते हुए आवेदक को खाजीन ह०प० फरी व्यास 40-50 से० (01) बेल ह०प० फरी व्यास 70 से ऊपर में (01), आम ह०प० 50-60 से० (01), 60-70 में (01) एवं 70 से ऊपर में (01) कुल (05) वृक्षों को कटवाने हेतु पातन अनुज्ञा जारी करने की संस्तुति की जाती है। आम एवं बेल के फलदायी क्षमता के सम्बन्ध में अधीक्षक राजकीय उद्यान गोरखपुर की रिपोर्ट दिनांक 09/10/2023 क्रम में संलग्न है।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मुख्यालय रेंज
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक 177/ क्रम दिनांक 16/10/2023
प्र०व०अ०

महोदय,
क्षेत्रीय वनाधिकारी मुख्यालय एवं अधीक्षक राजकीय उद्यान गोरखपुर की जांच/संस्तुति के आधार पर आवेदक को खाजीन ह०प० फरी व्यास 40-50 से० (01) बेल ह०प० 70 से ऊपर में (01), आम ह०प० 50-60 से० (01) 60-70 में (01) एवं 70 से ऊपर में (01) कुल (05) वृक्षों को कटवाने हेतु पातन अनुज्ञा जारी करने में कोई आपत्ति नहीं है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर

27

सेवा में,

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मुख्यालय रेंज

विषय :- पातन परमिट जारी करने के सम्बन्ध में,

महोदय,

निवेदन है कि आपके आदेशानुसार श्री महबूब सईद S/o हामिद अली निवासी ग्राम- छोटे काजीपुर, पोस्ट- सदर, तहसील - सदर, थाना- कोतवाली, जिला- गोरखपुर के प्रार्थना पत्र की जाँच मेरे द्वारा किया गया है। आवेदक भवन निर्माण में बाधक वृक्षों को कटवाना चाहता है। वृक्षों का नपत विवरण निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	प्रजाति व दशा	सीना माप मी० में	दर्जा व्यास
1-	सागौन (हरा),	1.50 मी०	40 - 50
2-	बेल (हरा)	2.63 मी०	70 से ऊपर
3-	आम (हरा)	2.08 मी०	60 - 70
4-	—— " ——	2.45 मी०	70 से ऊपर
5-	—— " ——	1.90 मी०	50 - 60

उपरोक्त वृक्ष प्लाट सं०- 619 रकबा 0.9640 हे० ग्राम- लच्छीपुर थाना- गोरखनाथ, जिला - गोरखपुर में स्थित है। जो कि आम एवं बेल वृक्ष के फलदायी क्षमता / जाँच रिपोर्ट संलग्न है।

अत: श्रीमान जी से अनुरोध है कि ~~सागौन हरा (40-50) (1) वृक्ष एवं अर्थात राजकीय उद्यान विभाग गोरखपुर के जाँच रिपोर्ट के आधार पर फलदार वृक्ष~~ बेल हरा 70 से ऊपर - (1) वृक्ष, आम हरा (60-70) (1) वृक्ष, आम हरा (70 ऊपर) (1) वृक्ष एवं आम हरा (50-60) (1) वृक्ष पातन परमिट जारी करने की संस्तुति की जाती है।

(नरेन्द्र कुमार)
व०र०
11-10-2023

P.T.O

कार्यालय- क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुख्यालय रेंज, वन प्रभाग, गोरखपुर
पत्रांक- 68 /3-1, दिनांक, मुख्यालय, अक्टूबर-01/2023

सेवा में,
अधीक्षक
राजकीय उद्यान, गोरखपुर

विषय- श्री महबूब सईद पुत्र श्री हामिद अली, निवासी- कोटि काजीपुर, थाना- कोतवाली, गोरखपुर के आवेदन के सम्बन्ध में।

महोदय,
श्री महबूब सईद पुत्र श्री हामिद अली, निवासी- कोटि काजीपुर पोस्ट- सदर, थाना- कोतवाली, जिला- गोरखपुर द्वारा अपने राजस्व ग्राम- रानीडीहपुर, थाना- गोरखनाथ, गोरखपुर में आराजी संख्या- 619 मि० में स्थित सागौन वृक्ष- 01, बेल वृक्ष- 01 व आम वृक्ष- 03 कुल- 05 वृक्षों को कटवाने के लिए पातन अनुज्ञा हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया गया है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन, खतौनी, नक्शा व शपथ पत्र संलग्न कर इस आशय से आपको भेजा जा रहा है कि उक्त आवेदन में वर्णित फलदायी वृक्ष बेल व आम के फलदायी क्षमता के सम्बन्ध में अपनी जांच आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मुख्यालय रेंज
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

संख्या / दिनांकित

प्रतिलिपि- श्री महबूब सईद पुत्र श्री हामिद अली निवासी- कोटि काजीपुर, पोस्ट- सदर, थाना- कोतवाली, गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मुख्यालय रेंज
गोरखपुर वन प्रभाग, गो०(उ०)

प्रेषक,

अधीक्षक
राजकीय उद्यान
गोरखपुर।

सेवा में,

कार्यालय क्षेत्रीय वनाधिकारी
मुख्यालय रेंज, वन प्रभाग
गोरखपुर।

पत्रांक 1291 / फलदायी क्षमता / 2023–24 / दिनांक 09-10-2023

विषयः– आम वृक्ष के फलदायी क्षमता /जॉच रिर्पोट के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पत्रांक सं0 68 / 31–1 दिनांक 01.02.2023 के क्रम में श्री महबूब सईद पुत्र श्री हामिद अली, निवासी–छोटे काजीपुर, पोस्ट–सदर, थाना–कोतवाली, जनपद–गोरखपुर अपने राजस्व ग्राम लच्छीपुर, थाना–गोरखनाथ गोरखपुर द्वारा अपने निजी भूमि के अराजी सं0–619 मि0 में स्थित 03 आम वृक्ष एवं 01 बेल वृक्ष का निरीक्षण दिनांक 07.10.2023 को मौके के पर जाकर श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी उद्यान निरीक्षक (वर्ग–2) द्वारा किया गया। जिसमें वृक्षों की आयु लगभग 60–65 वर्ष है। जो सूखे रोगग्रस्त हरे खड़े है। वृक्षों की स्थिति जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। जिसे देखने प्रतीत होता है कि वृक्षों में फलदायी क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है।

उपरोक्तानुसार जॉच आख्या आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

अधीक्षक
राजकीय उद्यान
गोरखपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES

NOTARIAL NOTARIAL

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

88AE 909166

समक्ष– प्रभागीय बनाधिकारी महोदय, गोरखपुर

1. यह कि शपथ पत्र मिनजानिब महबूब शईद पुत्र स्व0 हामीद अली निवासी छोटे काजीपुर पो0 सदर तहसील सदर जिला गोरखपुर के खातेदार है।
2. यह कि उपरोक्त का नाम व पता सही सत्य है।
3. यह कि शपथकर्ता बहलफ बयान करता हूँ व कसम खाता हूँ कि शपथकर्ता अपनी नीजी भूमि में गाटा सं0–619 मि0 रकबा 0.964हे0 ग्राम लच्छीपुर तप्पा कस्बा परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर में अपने जमीन में आम तथा अन्य वृक्ष है जिसे कटवाकर शपथकर्ता मकान बनवायेगा। जिसमे बाग मे तीन पेड़ आम, एक पेड़ बेल व एक पेड सागवान को कटवाना चाहता है। उक्त पेड़ो का स्वामित्व हम शपथकर्ता है।
4. यह कि शपथकर्ता बहलफ बयान करता हूँ व कसम खाता है कि शपथकर्ता परमिट के अतिरिक्त कोई अन्य पेड़ नहीं काटेगा तथा वन विभाग के नियम एवं शर्तों का पालन करेगा।
5. यह कि शपथकर्ता बहलफ बयान करता है व कसम खाता है कि उक्त पेड़ के पातन परमिट लेने पर आपस में कोई विवाद नहीं है यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यह पर स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
6. यह कि शपथकर्ता बहलफ बयान करता है व कसम खाता है कि उपरोक्त पैरा 1 से 5 तक शपथपत्र सही व सत्य है इसमें कोई बात छिपायी नहीं गयी है। ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक —

शपथकर्ता

(महबूब शईद)

महबूब सईद

NOTARY AMITABH TRIPATHI GOVT. OF UTTAR PRADESH

30/8/23

NOTARY

भारत सरकार
Government of India

महबूब ...
Ma...

3-10-22 for Correct

मेरा आधार, ... पहचान

...प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India
आधार

पता:
मु हमीद अली, गुल्फिशां, साजिद ...
मार्ग, कजिपुर खुर्द, गोरखपुर,
गोरखपुर,
उत्तर प्रदेश - 273001

Address:
...amid Ali, Gulfishaan,
... Qazipur Khurd,
...akhpur,
...73001

1947
help@uidai.gov.in
www.uidai.gov.in

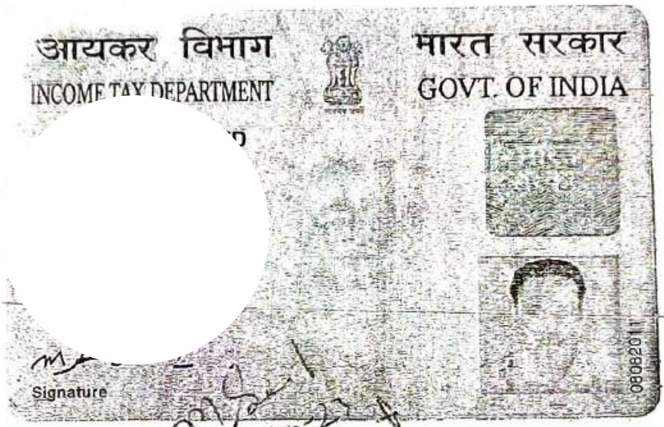
आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
Signature
08082011

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES

NOTARIAL NOTARIAL

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 88AE 909166

समक्ष– प्रभागीय बनाधिकारी महोदय, गोरखपुर

1. यह कि शपथ पत्र मिनजानिब महबूब शईद पुत्र स्व0 हामीद अली निवासी छोटे काजीपुर पो0 सदर तहसील सदर जिला गोरखपुर के खातेदार है।
2. यह कि उपरोक्त का नाम व पता सही सत्य है।
3. यह कि शपथकर्ता बहलफ बयान करता हूँ व कसम खाता हूँ कि शपथकर्ता अपनी नीजी भूमि में गाटा सं0–619 मि0 रकबा 0.964हे0 ग्राम लच्छीपुर तप्पा कस्बा परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर में अपने जमीन में आम तथा अन्य वृक्ष है जिसे कटवाकर शपथकर्ता मकान बनवायेगा। जिसमे बाग मे तीन पेड़ आम, एक पेड़ बेल व एक पेड सागवान को कटवाना चाहता है। उक्त पेड़ो का स्वामित्व हम शपथकर्ता है।
4. यह कि शपथकर्ता बहलफ बयान करता हूँ व कसम खाता है कि शपथकर्ता परमिट के अतिरिक्त कोई अन्य पेड़ नहीं काटेगा तथा वन विभाग के नियम एवं शर्तो का पालन करेगा।
5. यह कि शपथकर्ता बहलफ बयान करता है व कसम खाता है कि उक्त पेड़ के पातन परमिट लेने पर आपस में कोई विवाद नहीं है यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यह पर स्वत निरस्त मानी जायेगी।
6. यह कि शपथकर्ता बहलफ बयाने करता है व कसम खाता है कि उपरोक्त पैरा 1 से 5 तक शपथपत्र सही व सत्य है इसमें कोई बात छिपायी नहीं गयी है। ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक —

NOTARY (stamp): AMITABH TRIPATHI, GOVT. OF UTTAR PRADESH

30/9/23

NOTARY

शपथकर्ता

(महबूब शईद)

महबूब सईद

संलग्नक

ANNEXURE-A-9

प्रेषक,

अधीक्षक
राजकीय उद्यान
गोरखपुर।

सेवा में,

कार्यालय क्षेत्रीय वनाधिकारी
मुख्यालय रेंज, वन प्रभाग
गोरखपुर।

पंत्राक 1291 / फलदायी क्षमता / 2023–24 / दिनांक 09-10-2023

विषयः– आम वृक्ष के फलदायी क्षमता / जॉच रिर्पोट के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पत्रांक सं0 68 / 31–1 दिनांक 01.02.2023 के क्रम में श्री महबूब सईद पुत्र श्री हामिद अली, निवासी–छोटे काजीपुर, पोस्ट–सदर, थाना–कोतवाली, जनपद–गोरखपुर अपने राजस्व ग्राम लच्छीपुर, थाना–गोरखनाथ गोरखपुर द्वारा अपने निजी भूमि के अराजी सं0–619 मि0 में स्थित 03 आम वृक्ष एवं 01 बेल वृक्ष का निरीक्षण दिनांक 07.10.2023 को मौके के पर जाकर श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी' उद्यान निरीक्षक' (वर्ग–2) द्वारा किया गया। जिसमें वृक्षों की आयु लगभग 60–65 वर्ष है। जो सूखे रोगग्रस्त हरे खड़े है। वृक्षों की स्थिति जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। जिसे देखने प्रतीत होता है कि वृक्षों में फलदायी क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी हैं।

उपरोक्तानुसार जॉच आख्या आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

अधीक्षक
राजकीय उद्यान
गोरखपुर

ANNEXURE-A-10

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक 1600 / 37–1 दिनांक, गोरखपुर, अक्टूबर, 18 /2023

सेवा में,

पोस्ट मास्टर
प्रधान डाकघर/लेबर कैम्प
गोरखपुर।

विषयः– जमानत धनराशि बन्धक किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली, छोटे काजीपुर, पोस्ट–सदर, थाना–कोतवाली, जनपद–गोरखपुर का प्रार्थना पत्र।

श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली, छोटे काजीपुर, पोस्ट–सदर, थाना–कोतवाली, जनपद–गोरखपुर के प्रार्थना पत्र की जाँच कराई गई, जिसके अनुसार 05 वृक्ष के कटान की अनुमति पर वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के तहत क्षेत्रीय वनाधिकारी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दी गयी रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर विचार किया गया है। इसके लिए इनको निम्न कार्यवाही पूर्ण करनी है।

1–मु0–5,000/जमानत जमा करें जमानत की धनराशि अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से निरूपति की जायेगी। जमानत की धनराशि 5 वर्षीय एन0एस0सी0/बचत खाता के रूप मे जमा की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय संविधान की धारा–299 के अन्तर्गत शासनादेश सं0–45/47/डी0एफ0ओ0–71, दिनांक 06.01.1966 के द्वारा भारत सरकार की ओर से राज्य को इस प्रकार के मामले को सम्पादित करने का अधिकार प्राप्त है।

2–एक पेड़ कटान पर दस पेड़ लगाना होगा, रोपित पौधों के आयु छः वर्ष पूर्ण होने पर जमा जमानत वापस किया जायेगा।

3–कटान में किसी प्रकार का स्वामित्व विवाद उत्पन्न होने पर विभाग जिम्मेदार नही होगा एवं परमिट स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

(विकास यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

संख्या 1600 अ/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः–1–श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली, छोटे काजीपुर, पोस्ट–सदर, थाना–कोतवाली, जनपद–गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रधान डाकघर/लेबर कैम्प में धनराशि जमा कर बन्धक NSC इस कार्यालय को प्रेषित करे।

2–क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

जारी (नरेन्द्र कुमार) व०स०

(विकास यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

संलग्नक-11

ANNEXURE A-11

SB-5A Department of Posts, India

भारतीय डाक
India Post

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH · ONE FAMILY · ONE FUTURE

Passbook
National (Small) Savings Schemes

IFSC Code	IPOS0000DOP
Post Office	
CIF ID	
Account No.	
Scheme	

For more information visit: www.indiapost.gov.in
For Net Banking: ebanking.indiapost.gov.in

डाक घर बचत बैंक
Post Office Savings Bank

बचत बैंक खाता	आवर्ती जमा खाता
सुकन्या समृद्धि खाता	१ वर्षीय सावधि जमा खाता
पी. पी. एफ खाता	२ वर्षीय सावधि जमा खाता
एम. आई. एस. खाता	३ वर्षीय सावधि जमा खाता
एम. सी. एस. एस. खाता	५ वर्षीय सावधि जमा खाता
राष्ट्रीय बचत पत्र	किसान विकास पत्र

कम प्रीमियम अधिक बोनस
आयकर में छूट का लाभ।

बेहतर, सस्ती, पूर्णतः सुरक्षित एवं भरोसेमंद
डाक जीवन बीमा
सरकारी, अर्धसरकारी, पेंशेवरों एवं स्नातकों के लिये
ग्रामीण डाक जीवन बीमा
ग्रामीण लोगों के लिये खास बीमा योजना

PLI
RPLI

भारत के किसी भी डाकघर में या पी.एल.आई. कस्टमर पोर्टल के माध्यम से UPI/DEBIT/CREDIT CARD/NETBANKING etc. के द्वारा से प्रीमियम जमा करने की सुविधा

#Aapka Dost #India Post

Assured and Fast Delivery
EMS SPEED POST
Book now pay Later Scheme available

Online tracking of articles
Cash on delivery service for e-commerce
Delivery information via SMS

#Aapka Dost #India Post

Experience hassle-free & convenient
PARCEL SERVICES
Features of Parcel Services-
- Business & Speed Post Parcel-upto 35 kg
- Express Cargo Service (35 kg to 100 kg)
- Pick up Facility
- Attractive Discount Structure
- COD Facility

...ामान्य अनुदेश

...ों के लिए, उसके द्वारा किए गए लेनदेन का रिकार्ड है ...र्शाये गए शेष पर वैधानिक रुप से दावा नहीं किया जा

...ा का यह कर्तव्य होगा कि वह पासबुक मे दर्शाये शेष की पुष्टि ...धित डाकघर से करें और डाकघर अपने रिकार्ड मे दर्शाई जाने वाली ...ास्तविक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

किसी भी प्रयोजन के लिए पासबुक डाकघर को सौंपने पर डाकघर से उसकी पावती हमेशा लें।

4) पासबुक को हमेशा अपनी निजी अभिरक्षा मे रखे, किसी अन्य व्यक्ति को पासबुक सौंपने की स्थिति में पैसे की किसी प्रकार की हानि होने पर डाकघर उसके लिए जिम्मेदार नही होगा।

5) पासबुक में कही पर भी नमूना हस्ताक्षर न करें।

6) लेन-देन के बाद पासबुक मे दर्ज शेष की जांच करें और किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर पोस्टमास्टर से तुरंत संपर्क करें।

7) पासबुक गुम होने की स्थिति में पोस्टमास्टर को तुरंत लिखित में शिकायत करें।

8) यदि पते में कोई बदलाव हो तो इसकी सूचना पोस्टमास्टर को दें।

9) प्राधिकृत एजेंट सहित किसी भी व्यक्ति को हस्ताक्षर किया हुआ बिना भरा (ब्लैंक) निकासी फार्म न सौंपे।

10) अपने खाते से पैसे की निकासी के लिए पोस्टमास्टरों या प्राधिकृत एजेंटो को संदेशवाहक के तौर पर नियुक्त न करें।

कृपया पासबुक न मोड़ें।

https://www.indiapost.gov.in/Financial/pages/Content/Post-office-Saving-Schemes.aspx and details are available at https://www.indiapost.gov.in/VAS/Pages/RTI/RTI-Manual-5.aspx

Pleadge to DFO Gorakhpur

सहायक डाकपाल बचत पत्र प्रधान डाकघर, गोरखपुर-273001

NSC VIII Issue
SOLID/NAME: 27300100/Gorakhpur H.O
IFSC Code : IPOS0000DOP
Account No: 020090215725
CIF(s) / Depositor(s) Name :
1: 364916616 / MAHBOOB SAYEED
2: /
3: /
Depositor(s) Address :
1. GUL KESHAN SAJID ALI MOFO GORAKHPUR//
2.
GORAKHPUR,UTTAR PRADESH-273001
Account Open Date : 20-10-2023
Mode Of Operation : SELF
Nomination : Yes
Deposit Amount (in Rs.) : 5000
(Rupees Five Thousand)
Maturity Date : 20-10-2028
Maturity Amount (in Rs) : 7245
(Rupees Seven Thousand Two Hundred Forty Fiv
Through Agent : No

Signature Of Postmaster

डाकपाल, गोरखपुर-273001

वन विभाग (उ0 प्र0 सरकार) — Department of Forest (Government of Uttar Pradesh)

संलग्नक 10

ANNEXURE-A-12

वृक्ष गिराने का अनुज्ञा पत्र

(शासनादेश संख्या :- उत्तर प्रदेश सरकार वन विभाग -2488/14-5-2002-7/93 दिनांक 28/12/2002) अधिनियम की धारा 5 (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित) प्रभागीय निदेशक/ प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय सामाजिक वानिकी प्रभाग, 6587240 संख्या दिनांक 25/10/2023

सेवा में ,

क्षेत्र: ग्रामीण

श्री/श्रीमती/कुमारी :	Mahboob Sayeed	पत्नी/पुत्र/पुत्री श्री:	Mohd. Hamid Ali	ज़िला:	गोरखपुर
तहसील:	SADAR	परगना:	Haveli	थाना:	Kotwali
डाक:	Sadar	ग्राम सभा:	Chhote Kazipur	गांव:	Chhote Kazipur

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा -5 के अधीन वृक्ष (वृक्षों) को गिराने के लिए अनुज्ञा पत्र गिराये जाने के सम्बन्ध में आपके आवेदन दिनांक 21/10/2023 और जाँच अधिकारी की सिफारिश के आधार पर वृक्ष / वृक्षों को गिराने / हटाने के लिए नीचे दिए गये विवरण के अनुसार अनुज्ञा प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	प्रजाति का नाम	132 से.मी. की ऊंचाई पर वृक्ष की गोलाई/परिधि(से.मी. में)	वृक्ष को गिराने का कारण	वन-दरोगा द्वारा दिया गया 132 से.मी. की ऊंचाई पर वृक्ष की गोलाई/परिधि (से.मी.)	वन-दरोगा द्वारा दिया गया वृक्ष को गिराने का कारण
1	बेल	263	मकान निर्माण में बाधक	263	समुप्योज दर्जा व्यास प्राप्त कर लिया है
2	सागौन	150	हरा खड़ा परिपकव/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	150	समुप्योज दर्जा व्यास प्राप्त कर लिया है
3	आम	190	पुराने, फलहीन, रोगग्रस्त	190	समुप्योज दर्जा व्यास प्राप्त कर लिया है
4	आम	208	पुराने, फलहीन, रोगग्रस्त	208	समुप्योज दर्जा व्यास प्राप्त कर लिया है
5	आम	245	पुराने, फलहीन, रोगग्रस्त	245	समुप्योज दर्जा व्यास प्राप्त कर लिया है

एन एस सी संख्या:	020090215725	डाकघर का नाम :	Pradhan Dakghar, GKP	राशि :	5000.00

उपयुक्त वृक्ष श्रीMahboob Sayeed पुत्र श्री Mohd. Hamid Ali के नाम से अभिलिखित प्लाट संख्या 619 रकवा 0.964 जिला गोरखपुर तहसील SADAR परगना Haveli ग्राम सभा Lachhipur थाना Gorakhnath गांव Lachhipur डाक Gorakhnath में स्थित है ।

वन विभाग (उ0 प्र0 सरकार)
Department of Forest (Government of Uttar Pradesh)

(174)

1. आवेदक ने प्रत्येक गिरे हुए वृक्ष के स्थान पर दस पोधे रोपित करने और उनकी पश्चातवर्ती देख -रेख के लिए डाक घर बचत पास बुक / राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में प्रति पौधे 1 0 0 0/- र० सक्षम प्राधिकारी को पदनाम से गिरवी रखी गयी प्रतिभूति की धनराशि उक्त पौधों की स्थापना पर छ : वर्ष के पश्चात् वापस कर दी जाएगी । कटान अवधि में कटान स्थल पर उपस्थित मुहर्रिर का दैनिक पारिश्रामिक :

2. जिस दिन से कटान शुरू होगी , अनुज्ञा धारी की यह जिम्मेदारी होगी की वह पातन प्रारंभ करने से पूर्व सम्बंधित वन क्षेत्राधिकारी को जिस तिथि से पातन पत्र जारी हो रहा है वह सूचना करेंगा ताकि शासनादेश संख्या ४३४ के प्रस्तर दिए गये निर्देशों की वन क्षेत्राधिकारी द्वारा अनुपालन सुरक्षित किया जा सके |

3. सेक्शन अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार धनराशि जमा करा के आवेदक को पातन अनुज्ञा की प्रति हस्तगत करायें एवं अनुपालन आख्या से प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को अवगत करा दें |

4. अनुमति शुल्क की राशि 100 रुपया प्रति वृक्ष रेंज कार्यालय में जमा कराये ।

5. इस पातन अनुज्ञा हेतु सम्बंधित क्षेत्र के सेक्शन अधिकारी पातन अनुज्ञा अधिकारी नियुक्त किये जाते है, जो कि शासनादेश संख्या 434/14-5-2013 दिनांक 11/03/2013 में वर्णित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होंगे | धन रजिस्ट्रेशन शुल्क रु 75/- की ई 3 रसीद जारी करें।

6. यह पातन अनुज्ञा पत्र दिनांक ~~27/10/2023से04/11/2023~~ तक विधिमान्य होगा ।
01-11-2023 से 10-11-2023

कार्यालय प्रभागीय निदेशक/ प्रभागीय वनाधिकारी,गोरखपुर 31-10-2023

संख्या. 6587240 दिनांक: 25/10/2023 पत्रांक : 1730/37-1

प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर वन प्रभाग
गोरखपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रसारित ।

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी /गोरखपुर
2. वन क्षेत्राधिकारी मुख्यालय ...जिला गोरखपुर
3. थानाध्यक्ष Gorakhnath जिला गोरखपुर
4. उपजिलाधिकारी SADAR....जिला गोरखपुर
5. प्रभारी सुरक्षा बल गोरखपुर...जिला गोरखपुर

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग
गोरखपुर वन प्रभाग
गोरखपुर

प्राप्त किया
मट्टकुब सईद

24 फार्म 227

वन विभाग उत्तर प्रदेश

संलग्नक — 13

पूर्वी वृत्त–गोरखपुर

ANNEXURE-A-13

वन प्रभाग–गोरखपुर

वन अपराध– उ०प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 व 3/08

रिपोर्ट नं0 .... दिनांक 13-11-2023 रेंज मुख्यालय बीट गोरखनाथ प्लाट

रेंज केस संख्या 09/2023 – 2024 20

1– अभियुक्तों के नाम, पिता के नाम तथा पता : ① इस्लाम S/O मर्जाद ग्राम- जंगल बहादुर थाना- चिलुआताल जिला- गोरखपुर ② मो० सईद S/O मो० हामिद अली, ग्राम- छोटे काजीपुर, थाना- कोतवाली, गोरखपुर

2– गवाहों के नाम आत्मज तथा पता ① श्री बैरवल निषाद (वाहन चालक) मुख्यालय रेंज ② श्री राजकुमार वर्मा (चौकिदार) मुख्यालय रेंज ③ स्वयं (नरेन्द्र कुमार) व०र०

3– कथित अपराधों का पूरा विवरण ग्राम लच्छीपुर में मो० सईद S/O मो० हामिद अली के प्लाट संख्या 619 रकबा 0.964 जिला गोरखपुर में स्थित आम हरा ⑥ वृक्ष, सागौन ② वृक्ष एवं नीम ① वृक्ष का अवैध पातन करके प्रकाष्ठ को गायब कर देना एवं शेष प्रकाष्ठ मौके पर पाया जाना।

क्र०सं०	प्रजाति	कुल माप
(1)	सागौन	0.98 मी० मौके से प्रकाष्ठ गायब
(2)	सागौन	0.93 मी० मौके से प्रकाष्ठ गायब
	नीम	0.89 मी० मौके से प्रकाष्ठ गायब

4– अपराध के समय यदि अपराधी कोई समान अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया हो तो उसका विवरण

आम हरा ठूंठों के नाप। ① 1.23×1.85 ② 1.35×1.60 ③ 1.30×1.45 ④ 1.39×1.40 ⑤ 1.75×1.05 ⑥ 1.00×1.00

महोदय

आज दिनांक 13-11-2023 को समय लगभग 4 बजे शाम क्र०सं० ② में वर्णित साक्षीगणों के साथ ग्राम- लच्छीपुर थाना गोरखनाथ जिला गोरखपुर के मो० सईद S/O मो० हामिद अली के द्वारा पातन परमिट संख्या 6587240 दिनांक 25-10-2023 में जारी कटान को चेक किया गया जिसमें पातन परमिट में आम हरा

5– कुल हानि का मूल्यांकन

6– बरामद की गई लकड़ियों का विवरण एवं रखने का स्थान

वृक्ष आम ⑥ सागौन ② नीम ① अवैध पातन पाया गया मौके पर आम के ⑥ ठूंठे एवं मिले, अगल-बगल पूछ-ताछ करने पर पता चला कि क्र०सं० ① में वर्णित अभियुक्ता द्वारा पेड़ों को काटकर प्रकाष्ठ को गायब कर दिया गया। आम के ⑥ ठूंठों का फर्द तैयार कर सरहंग को ठूंठों बरामद आम के ठूंठे को श्री [illegible] S/O

7– चालान एवं जांच के सम्बन्ध में विशेष कथन मोहन निवासी- ग्राम मोहद्दीपुर थाना- चिलुआताल जिला- गोरखपुर को सुपुर्दगी में दिया गया।

अत: रिपोर्ट सूचनार्थ प्रेषित है।

(नरेन्द्र कुमार)

केस काटने वाले का हस्ताक्षर

दिनांक : 13-11-2023

पद व०र०

संलग्नक-14

ANNEXURE-A-14

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर।

महोदय

निवेदन है कि मैं महबूब सईद पुत्र श्री हामिद अली निवासी–छोटे काजीपुर खुर्द, पो0–सदर, थाना–कोतवाली, जनपद–गोरखपुर का स्थायी निवासी हूँ। मैं अपने निजी भूमि राजस्व ग्राम–लच्छीपुर, थाना–गोरखनाथ, जिला–गोरखपुर के अराजी सं0 –619 मि. रकबा–0.964 हे0 में स्थित में सागौन 01 पेड़, बेल 01 पेड एवं आम 03 पेड कुल 05 पेड़ों को कटाने के लिए दिनांक 01.10.2023 को प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा दिया गया उक्त के क्रम में वन विभाग गोरखपुर द्वारा परमिट दिया गया। मेरे द्वारा परमिट से सम्बन्धित 05 पेड़ों को कटवाने हेतु मजदूरों को लगाया गया था मजदूरों द्वारा परमिट से सम्बन्धित पेड़ों को काटते समय परमिट कें अतिरिक्त आम 02 ,सागौन 02 तथा नीम 01 कुल 05 पेड़ो को गलती से मजदूरों द्वारा काट दिया गया जब मुझे पता चला कि मेरे नाम से वन विभाग द्वारा दिनांक 13.11.2023 को रेंज केस सं0 –09 / 2023–24 पंजीकृत किया गया है चूँकि मेरे मजदूरों द्वारा 05 पेड़ों को कटाने की गलती की गयी है इसलिए मैं अपना भी गलती स्वीकार करता हूँ तथा वन विभाग से मुकदमा लड़ना नही चाहता हूँ मैं अपनी मर्जी से जुर्माना जमा करना चाहता हूँ ।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि बिना अनुमति के मेरे मजदूरों द्वारा कटे गये पेड़ों के सम्बन्ध में प्रार्थी से जुर्माना जमा कराने की कृपा करें ।

प्रार्थी

महबूब सईद

दिनांक –23.03.2024

(महबूब सईद)
निवासी–छोटे काजीपुर खुर्द,
पो0–सदर, थाना–कोतवाली,
जनपद–गोरखपुर

ANNEXURE-A-15

संलग्नक- 15

आयकृत निगमन

वन विभाग, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, उ०प्र०

उप प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर

E-3 बुक नं० 13095 नं० 65

वन प्रभाग गोरखपुर [illegible] (04-04-24) दिनांक 04/04/2024

श्री मो० शरीफ पुत्र मो० [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्राप्त किया।

रुपया 35,000/- (रूपये पैंतीस हजार मात्र)

बावत मुकदमा [illegible] के [illegible]

दिनांक [illegible] संख्या 09/2023-24 के [illegible] की [illegible]। 04/04/2024

प्राप्तकर्ता हस्ताक्षर
पद नाम क्षेत्रीय वनाधिकारी
मुख्यालय रेंज
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरख

संलग्नक 2 16

ANNEXURE -A-16

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक ss२५/10–1 दिनांक, गोरखपुर, मई १५ /2024

Before the national Green Tribunal Principal Bench New Delhi में योजित Original Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of Environment Forest And Climate Change में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के सम्बन्ध में प्रकरण की जांच करने हेतु समिति का गठन

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of Environment Forest And Climate Change में आदेश दिनांक 26.04.2024 पारित किया गया है, जो निम्न प्रकार है–

"..............In this original application, grievance of the Applicant is that there was a garden in two acres of land at Araji No. 619, Khata No. 716 situated at Chandra Petrol Pump, Sonoli Road, Police Station Gorakhnath, Tehsil Sadar, District Gorakhpur, Uttar Pradesh. It is alleged that the legal heirs of the original owner had entered into an agreement with a builder Vikas Kejriwal and the legal heirs along with builder in collusion with the Officers of the Forest Department and Police Officers have cut the fruit bearing green trees illegally and when the Applicant had tried to resist, he and his family members were harassed. It is further alleged that 75 fruit bearing guava trees were illegally destroyed/cut by using bulldozer on 28.03.2024 and a complaint was made to the authorities but no action has been taken. Along with OA, photographs of trees which were cut have been enclosed.

2. The OA raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms.

3. To ascertain the truthfulness of the allegations and also for appropriate action, we direct the Divisional Forest Officer, Gorakhpur to 2 get the factual report and take action against the violators, if required, after duly following the principles of natural justice. The action taken report will be submitted by the DFO, Gorakhpur before the Registrar General of the Tribunal within four months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support

PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed before the Bench for consideration………"

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 26.04.2024 जो इस कार्यालय को दिनांक 03.05.2024 को प्राप्त हुआ है। उक्त प्रकरण का निस्तारण करने हेतु उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर की अध्यक्षता में निम्न प्रकार समिति का गठन किया जाता है :-

1- सर्व श्री डॉ0 हरेन्द्र सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर — अध्यक्ष

2- ओम प्रकाश सिंह, क्षेत्रीय वनाधिकारी, परतावल — सदस्य

3- अखिलेश तिवारी, क्षेत्रीय वनाधिकारी, सहजनवां — सदस्य

उपरोक्त गठित समिति के अध्यक्ष व समस्त सदस्यगण संलग्न आदेश दिनांक 26.04.2024 के सम्बन्ध में जांच कर अपनी जांच आख्या मय साक्ष्य हस्ताक्षर सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दिनांक 25.05.2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

स्मरण रहें, उक्त प्रकरण महत्वपूर्ण है, जिसे ससमय निस्तारण करना अति आवश्यक है, अतएवं इसे शीर्ष प्राथमिकता देवें।

(विकास यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गोरखपुर

संख्याः 5594 अ/उक्तदिनॉकित।
प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सुचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सर्व श्री डॉ0 हरेन्द्र सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर।
2. ओम प्रकाश सिंह, क्षेत्रीय वनाधिकारी परतावल
3. अखिलेश तिवारी, क्षेत्रीय वनाधिकारी, सहजनवां।

(विकास यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गोरखपुर

ANNEXURE-A-17 संलग्नक 03

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, उप वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक 754 /10–1 दिनांक, गोरखपुर, मई, 16 /2024

सेवा में,

मेराज अहमद उर्फ सुड्डू,
मोहल्ला–लक्ष्मीपुर खास,
थाना–गोरखनाथ,
तहसील–सदर,
जिला–गोरखपुर।
मो0नं0–9415304215

विषयः– Before the national Green Tribunal Principal Bench New Delhi में योजित Original Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of Environment Forest And Climate Change में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के सम्बन्ध में।

संदर्भः– राष्ट्रीय हरित अधिकरण,प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2024

उपरोक्त विषयक वाद आपके द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण,प्रधान पीठ, नई दिल्ली में दाखिल किया गया है। विषयगत प्रकरण की जांच हेतु प्रभाग स्तर पर समिति का गठन किया गया है। उक्त प्रकरण में सत्यता की जांच हेतु आपका उपस्थित होना आवश्यक है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 24/05/2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे गोरखपुर सोनौली मार्ग पर स्थित चन्द्रा पेट्रोल पम्प के पास स्थित आराजी सं0 619, ग्राम लच्छीपुर, तहसील–सदर, थाना–गोरखनाथ, जिला–गोरखपुर में आप द्वारा की गयी शिकायत से सम्बन्धित साक्ष्य/अभिलेखों सहित उपस्थित होकर उक्त जांच में सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 हरेन्द्र सिंह)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
उप वन प्रभाग,
गोरखपुर

EU197628346IN [illegible]
[illegible] GORAKHPUR [illegible]
Counter No:1, 17/05/2024, 20:53
To: MIRAJ AHMED, S/P
PIN:273015, Gorakhnath [illegible]
From: UPP VAN ADHIKARI, BKP
Wt:14gms
Amt:17.70 (Cash) Tax:2.70
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

India Post

संलग्नक-04.

ANNEXURE-A-17

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, उप वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक 868 /10–1 दिनांक, गोरखपुर, जून, 25 /2024

सेवा में,

श्री मेराज अहमद उर्फ सुड्डू,
मोहल्ला–लच्छीपुर खास,
पोस्ट–गोरखनाथ,
थाना–गोरथनाथ,
जिला–गोरखपुर।
पिन कोड–273015

विषयः– **Before the national Green Tribunal Principal Bench New Delhi** में योजित **Original Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of Environment Forest And Climate Change** में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के सम्बन्ध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक–754 / 10–1 दिनांक 16.05.2024

गोरखपुर सोनौली मार्ग पर चन्द्रा पेट्रोल पम्प के पास स्थित ग्राम–लच्छीपुर के आराजी संख्या–619 में वृक्षों के कटान के सम्बन्ध में उपरोक्त विषयक वाद आप द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,प्रधान पीठ, नई दिल्ली में दाखिल किया गया है। उक्त प्रकरण की जांच प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक–5524 / 10–1 दिनांक 14.05.2024 द्वारा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

इस सम्बन्ध में प्रकरण की जांच हेतु दिनांक 24.05.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे आयोजित बैठक में साक्ष्य सहित उपस्थित होने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–754 / 10–1 दिनांक 16.05.2024 द्वारा रजिस्टर्ड डाक से आपको सूचित किया गया था, लेकिन किसी कारणो से आप उपस्थित नही हुए।

पुनः आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 03/07/2024 को पूर्वान्ह 11 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में पुनः समिति की बैठक आयोजित की गयी है। आप जांच में सहयोग करने हेतु शिकायत से सम्बन्धित साक्ष्य / अभिलेखों सहित उपरोक्त निर्धारित तिथि को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(डा0 हरेन्द्र सिंह)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर उप वन प्रभाग, गोरखपुर

संख्या 868 अ / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि–1–प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर वन.प्रभाग, गोरखपुर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2–क्षेत्रीय वनाधिकारी, परतावल, सहजनवां एवं मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि आप लोग भी समिति की बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

(डा0 हरेन्द्र सिंह)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर उप वन प्रभाग, गोरखपुर

भारतीय डाक
EL068659898IN IVR:6965368659898
SP MBC GORAKHPUR RMS (273912)
Counter No:1,26/06/2024,21:35
India Post
To:MERAJ AHMAD,LACHHIPUR
PIN:273015, Gorakhnath Mandir SO
From:UP PRABHAGIYA VAN ,GKP
Wt:18gms
Amt:17.70(Cash)Tax:2.70
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 18002666868) Wear Masks, Stay Safe)

संलग्नक - 10

ANNEXURE - A - 10

Before the national Green Tribunal Principal Bench New Delhi में योजित Original Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of Environment Forest And Climate Change में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के सम्बन्ध में गठित समिति की जांच आख्या

याची सुड्डू (Suddu) द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Original Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of Environment Forest And Climate Change में राष्ट्रीय हरित अधिकरण,प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 26.04.2024 को आदेश पारित किया गया है, जिसके अंश निम्नवत है –

"...............In this original application, grievance of the Applicant is that there was a garden in two acres of land at Araji No. 619, Khata No. 716 situated at Chandra Petrol Pump, Sonoli Road, Police Station Gorakhnath, Tehsil Sadar, District Gorakhpur, Uttar Pradesh. It is alleged that the legal heirs of the original owner had entered into an agreement with a builder Vikas Kejriwal and the legal heirs along with builder in collusion with the Officers of the Forest Department and Police Officers have cut the fruit bearing green trees illegally and when the Applicant had tried to resist, he and his family members were harassed. It is further alleged that 75 fruit bearing guava trees were illegally destroyed/cut by using bulldozer on 28.03.2024 and a complaint was made to the authorities but no action has been taken. Along with OA, photographs of trees which were cut have been enclosed.

2. The OA raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms.

3. To ascertain the truthfulness of the allegations and also for appropriate action, we direct the Divisional Forest Officer, Gorakhpur to 2 get the factual report and take action against the violators, if required, after duly following the principles of natural justice. The action taken report will be submitted by the DFO, Gorakhpur before the Registrar General of the Tribunal within four months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed before the Bench for consideration........."

राष्ट्रीय हरित अधिकरण,प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 26.04.2024 के क्रम में प्रकरण की जांच हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक 5524/10–1 दिनांक 14.05.2024 द्वारा समिति की गठन किया गया है, समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य निम्न प्रकार है–

1– सर्व श्री डॉ0 हरेन्द्र सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर – अध्यक्ष

2– संतोष कुमार पाण्डेय क्षेत्रीय वनाधिकारी, कैम्पियरगंज – सदस्य

3– अखिलेश तिवारी, क्षेत्रीय वनाधिकारी, सहजनवां – सदस्य

समिति द्वारा प्रकरण की जांच के समय शिकायतकर्ता श्री मेराज अहमद उर्फ सुड्डू, मोहल्ला–लच्छीपुर खास, पोस्ट व थाना–गोरखनाथ, जिला–गोरखपुर, पिनकोड–273015 को दिनांक 24.05.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे गोरखपुर–सोनौली मार्ग पर स्थित चन्द्रा पेट्रोल पम्प के पास स्थित आराजी संख्या–619, ग्राम–लच्छीपुर, तहसील–सदर, थाना–गोरखनाथ, जिला–गोरखपुर में शिकायत से सम्बन्धित साक्ष्य/अभिलेखों सहित उपस्थित होकर जांच में सहयोग प्रदान करने हेतु उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर (अध्यक्ष) अपने कार्यालय पत्रांक–754/10–1 दिनांक 16.05.2024 से स्पीड पोस्ट दिनांक 18.05.2024 से सूचित किया गया **(संलग्नक–1)**। शिकायतकर्ता श्री मेराज अहमद उर्फ सुड्डू दिनांक 24.05.2024 को उपस्थित नही हुए, शिकायतकर्ता श्री मेराज अहमद उर्फ सुड्डू को पुनः जांच मे सहयोग करने हेतु दिनांक 03.07.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे उपस्थित होने हेतु उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर (अध्यक्ष) अपने कार्यालय पत्रांक–868/10–1 दिनांक 25.06.2024 से स्पीड पोस्ठ दिनांक 26.06.2024 से उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया। लेकिन श्री मेराज अहमद उर्फ सुड्डू जांच के समय उपस्थित नही हुए **(संलग्नक–2)**

समिति द्वारा प्रकरण की जांच करने हेतु मौके पर स्थलीय निरीक्षण एवं प्रकरण की जांच दिनांक 24.05.2024 एवं 03.07.2024 को किया गया, एवं प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण मुख्यालय रेंज में उपलब्ध साक्ष्यों एवं दस्तावेजों से किया गया जिसमें यह पाया गया कि –

श्री महबूब सईद पुत्र स्व0हामिद अली, ग्राम– छोटे काजीपुर, थाना–कोतवाली, तहसील–सदर, जिला गोरखपुर द्वारा सोनौली मार्ग पर चन्द्रा पेट्रोल पम्प के पास आराजी संख्या–619,ग्राम लच्छीपुर, तहसील–सदर, थाना–गोरखनाथ, जिला –गोरखपुर की भूमि पर एक वृक्ष आम का अवैध पातन दिनांक 22.07.2023 को किया गया, जिसके विरूद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–04/10 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज द्वारा रेंज केस संख्या–04/2023–24 दिनांक 22.07.2023 पंजीकृत किया गया। उक्त प्रकरण में क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुख्यालय द्वारा ई–3 संख्या 13095/29 दिनांक 01.08.2023 से मु0–7000/– प्रतिकर की धनराशि प्राप्त कर राजकीय कोष में जमा किया गया है। **(संलग्नक–3)**

श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली द्वारा आराजी संख्या–619 ग्राम लच्छीपुर, तहसील–सदर, थाना–गोरखनाथ, जिला –गोरखपुर में स्थित बेल–01, सागौन–01 एवं आम–03, कुल–05 वृक्षों को कटवाने

ATiwari

के लिए पातन परमिट हेतु विभाग को आवेदन किया गया था। उक्त आवेदन के सम्बन्ध में फलदार वृक्षों के फलदायी क्षमता की जांच हेतु क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुख्यालय रेंज के पत्रांक 68/31–1 दिनांक 01.10.2023 के द्वारा अधीक्षक, राजकीय उद्यान, गोरखपुर को पत्र लिखकर जांच करायी गयी। **(संलग्नक–4)** तदोपरान्त अधीक्षक, राजकीय उद्यान, गोरखपुर ने अपने पत्रांक 1291/फलदायी क्षमता/2023–24/ दिनांक 09.10.2023 द्वारा फलदार वृक्षो के फलदायी क्षमता/जांच रिपोर्ट प्रेषित किया गया, **(संलग्नक–5)** जिसमें यह उल्लिखित किया है कि उक्त आराजी में स्थित वृक्षों की आयु लगभग 60–65 वर्ष है, जो सुखे, रोगग्रस्त हरे खड़े है, वृक्षों की स्थिति जीर्ण –शीर्ण अवस्था में है। जिसे देखने प्रतीत होता है कि वृक्षों में फलदायी क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है। तदोपरांत श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली द्वारा आराजी संख्या–619 में स्थित बेल–01, सागौन–01 एवं आम–03, कुल–05 वृक्षों को कटवाने के लिए विभाग से पातन परमिट सं0 6587240 दिनांक 25.10.2023 जारी गया है **(संलग्नक–6)**।

जारी किये गये उक्त पातन परमिट में कटान हेतु अनुमति दिए गए वृक्षों के अतिरिक्त आम–02, सागौन–02 व नीम–01, कुल–05 वृक्षों का अवैध पातन किया गया, जिसके विरूद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–4/10 एवं अभिवहन नियमावली 1978 की धारा 03/28 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज द्वारा रेंज केस संख्या–09/2023–24 दिनांक 13.11.2023 पंजीकृत किया गया है और क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुख्यालय द्वारा ई–3 संख्या 13095/65 दिनांक 04.04.2024 से मु0–35000/– प्रतिकर की धनराशि प्राप्त कर राजकीय कोष में जमा किया गया है।**(संलग्नक–7)**

शिकायतकर्ता मेराज अहमद उर्फ सुड्डू द्वारा उ0प्र0 सरकार के जन सुनवायी पोर्टल पर शिकायत सं0 40018823042313 द्वारा शिकायत की गयी, जिसके सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक मेमो/16एफ–16 ए (जनसुनवायी) दिनांक 29.11.2023 द्वारा उक्त शिकायत का निस्तारण किया गया है। जिसके मुख्य अंश निम्न प्रकार है:–

श्री मेराज अहमद जी के शिकायती पत्र की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय से कराया गया। क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुख्यालय ने अपने पत्रांक–105/31–1 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदक श्री मेराज अहमद द्वारा अपने आवेदन में गोरखपुर सोनौली मार्ग पर चन्द्रा पेट्रोल पम्प स्थित स्व0 हामिद अली पुत्र स्व0 साजिद अली के बाग में अवैध पातन के सम्बन्ध में शिकायत किया गया है, जांच के क्रम में मौके की जांच किया गया, इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि उक्त स्थल पर एक वृक्ष आम का अवैध पातन हुआ था, जिसके विरूद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–04/10 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज ने रेंज केस संख्या–04/2023–24 दिनांक 22.07.2023 पंजीकृत हुआ है।

श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली द्वारा आराजी संख्या–619 में स्थित वृक्षों में से बेल–01, सागौन–01 एवं आम–03, कुल–05 वृक्षों को कटवाने के लिए पातन परमिट हेतु आवेदन किया गया, फलदार वृक्षों के फलदायी क्षमता के सम्बन्ध में अधीक्षक, राजकीय उद्यान, गोरखपुर द्वारा जांच करायी गयी है, जांचोपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक–1730/37–1 दिनांक 31.10.2023 द्वारा आवेदित 05 वृक्षों को कटवाने हेतु आन लाइन परमिट संख्या–6587240 जारी किया गया।

Tiwari

परमिट धारक द्वारा पातन परमिट में अनुमति दिए गए वृक्षों के अतिरिक्त आम–02, सागौन–02 व नीम–01, कुल–05 वृक्षों का अवैध पातन कराया गया जिसके विरूद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–4/10 एवं 03/28 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज ने रेंज केस संख्या–09/2023–24 दिनांक 13.11.2023 पंजीकृत किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण में विभिन्न प्रजाति के 05 वृक्षों को कटवाने हेतु पातन परमिट निर्गत किया गया है एवं 06 वृक्षों के अवैध पातन पाए जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी है। भूमि में स्थित वृक्षों की पुष्टि हेतु राजस्व विभाग, द्वारा खसरा निर्गत किया गया है। उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट, उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5–संख्या–24/81–5–2020–07–93 लखनऊ 07–जनवरी–2020 में उल्लिखित निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु भूमि स्वामी के स्तर से आवेदन प्राप्त होने पर जांचोपरान्त पातन परमिट जारी किया जाता है या उक्त प्रतिबन्धित प्रजाति के वृक्षों के अवैध पातन होने पर विधिक कार्यवाही की जाती है। शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु छूट प्रदान किया गया है। शिकायती पत्र में वर्णित अमरूद, लीची, पंजाला, शरीफा, नारियल, चीकू एवं कटहल प्रजाति का वृक्ष उपरोक्त शासनादेश में प्रतिबन्धित श्रेणी में अंकित नही है अर्थात छूट प्रजाति का वृक्ष है **(संलग्नक–8)**।

पुनः शिकायतकर्ता द्वारा मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार को दिनांक 02.11.2023 को, एवं मा0 मंत्री वन एवं पर्यावरण , भारत सरकार, नई दिल्ली को दिनांक 29.12.2023 को पत्र के माध्यम से शिकायत किया गया है। उक्त शिकायत का निस्तारण किया गया जिसके मुख्य अंश निम्न प्रकार हैः–

निवेदन है कि श्री मेराज अहमद का शिकायती पत्र दिनांक 02.11.2023 उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा जाचं हेतु अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में गोरखपुर सोनौली मार्ग पर चन्द्रा पेट्रोल पम्प के पास स्थित स्व0 हामिद अली पुत्र स्व0 साजिद अली के बाग में अवैध पातन के सम्बन्ध में शिकायत किया गया है। चूँकि प्रकरण मुख्यालय रेंज गोरखपुर से सम्बन्धित है इसलिये प्रकरण की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय से करायी गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय ने अपने पत्रांक–200/31–1 दिनांक 24.03.2024 द्वारा अपनी जांच आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। (प्रति संलग्न है।) अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त आख्या का परीक्षण किया गया। जांच आख्या निम्न प्रकार हैः–

इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि उक्त स्थल पर एक वृक्ष आम का अवैध पातन हुआ था, जिसके विरूद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–04/10 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज ने रेंज केस संख्या–04/2023–24 दिनांक 22.07.2023 पंजीकृत हुआ है।

श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली द्वारा आराजी संख्या–619 में स्थित बेल–01, सागौन–01 एवं आम–03, कुल–05 वृक्षों को कटवाने के लिए पातन परमिट हेतु आवेदन किया गया, फलदार वृक्षों के

फलदायी क्षमता के सम्बन्ध में अधीक्षक, राजकीय उद्यान, गोरखपुर द्वारा जांच करायी गयी है, जांचोपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक–1730/37–1 दिनांक 31.10.2023 द्वारा आवेदित 05 वृक्षों को कटवाने हेतु आन लाइन परमिट संख्या–6587240 जारी किया गया।

परमिट धारक द्वारा पातन परमिट में अनुमति दिए गए वृक्षों के अतिरिक्त आम–02, सागौन–02 व नीम–01, कुल–05 वृक्षों का अवैध पातन कराया गया जिसके विरूद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–4/10 एवं अभिवहन नियमावली 1978 की धारा 03/28 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज ने रेंज केस संख्या–09/2023–24 दिनांक 13.11.2023 पंजीकृत किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण में विभिन्न प्रजाति के 05 वृक्षों को कटवाने हेतु पातन परमिट निर्गत किया गया है एवं 06 वृक्षों के अवैध पातन पाए जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी है। भूमि में स्थित वृक्षों की पुष्टि हेतु राजस्व विभाग, द्वारा खसरा निर्गत किया गया है। उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट, उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5–संख्या–24/81–5–2020–07–93 लखनऊ 07–जनवरी–2020 में उल्लिखित निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु भूमि स्वामी के स्तर से आवेदन प्राप्त होने पर जांचोपरान्त पातन परमिट जारी किया जाता है या उक्त प्रतिबन्धित प्रजाति के वृक्षों के अवैध पातन होने पर विधिक कार्यवाही की जाती है। शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु छूट प्रदान किया गया है। शिकायती पत्र में वर्णित अमरूद, लीची, पंजाला, शरीफा, नारियल, चीकू एवं कटहल प्रजाति का वृक्ष उपरोक्त शासनादेश में प्रतिबन्धित श्रेणी में अंकित नही है अर्थात छूट प्रजाति का वृक्ष है। उपरोक्त शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु अनुमति लेने की आवश्यकता नही है।

शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में उल्लेख किया गया है कि खसरा में चार फरीक है। लेकिन वन विभाग द्वारा एक व्यक्ति के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा यह कहना कि शेष तीन फरीक के नाम से मुकदमा पंजीकृत किया जाय। इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि उक्त स्थल पर एक वृक्ष आम का अवैध पातन पाये जाने पर मुख्यालय रेंज के अन्तर्गत रेंज केस संख्या–04/2023–24 दिनांक 22.07.2023 पंजीकृत हुआ है। चूँकि श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली के आवेदन पर विभिन्न प्रजाति के पांच वृक्षों को कटवाने हेतु पातन परमिट जारी किया गया हैं अनुमति दिये गये पांच वृक्षों के अतिरिक्त विभिन्न प्रजाति के पांच वृक्षों का अवैध पातन परमिट धारक श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली द्वारा कराया गया। इस लिये परमिट धारक के नाम से रेंज केस संख्या–09/2023–24 दिनांक 13.11.2023 पंजीकृत किया गया है। **(संलग्नक–9)।**

अतः समिति की जॉच में पाया गया कि उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट, उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5–संख्या–24/81–5–2020–07–93 लखनऊ 07–जनवरी–2020 **(संलग्नक–10)** में उल्लिखित निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु भूमि स्वामी के स्तर से आवेदन प्राप्त होने पर जांचोपरान्त पातन परमिट जारी किया जाता है अथवा उक्त प्रतिबन्धित प्रजाति के वृक्षों के अवैध पातन होने पर विधिक कार्यवाही की जाती है। शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृषित भूमि पंर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु छूट प्रदान किया गया है। छूट प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

उक्त आराजी सं0 619 में स्थित वृक्षों के लिये ली गयी पातन परमिट के अतिरिक्त अवैध काटे गये वृक्षों के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की गयी है। अतः समिति की जांच आख्या प्रेषित है।

(अखिलेश तिवारी)
क्षेत्रीय वनाधिकारी,
सहजनवां
सदस्य

(संतोष कुमार पाण्डेय)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
खजनी
सदस्य

(डॉ0 हरेन्द्र सिंह)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर
अध्यक्ष

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, उप वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक 44 /10–1 दिनांक, गोरखपुर, जुलाई, 25 /2024

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ0 हरेन्द्र सिंह)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर

ANNEXURE-A-19 संलग्नक-19

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये रु.10
TEN RUPEES Rs.10
INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

Attested by S P Mishra Notary Magisstrate

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 36AE 824881

NOTARY S.P. Mishra Reg. No. N.O.T. Gorakhpur Govt. Of UP

शपथपत्र

समक्ष- श्रीमान् प्रभागीय वनाधिकारी महोदय, जनपद- गोरखपुर ।

बमेहरूपी मिनजानिब- महबूब सईद पुत्र स्व0 हामिद अली निवासी मुहल्ला- छोटे काजीपुर, पो0/तहसील- सदर, जिला- गोरखपुर (उ0प्र0) का निवासी है तथा - शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता है व कसम खाता है:-

---

यहकि हम शपथकर्ता का नाम, पिता का नाम व पता जो ऊपर अंकित है वो सही व सच है ।

2- यहकि हम शपथकर्ता ने आपसे अनुमति प्राप्त करके पेड़ काटा है ।

3- यह कि शपथकर्ता ने इसके बाद न तो पेड़ काटा है और न ही भविष्य में बिना अनुमति के कोई पेड़ काटेगा ।

4- यहकि शपथकर्ता द्वारा बिना अनुमति के जो पेड़ काटा गया था उसका प्रतिकर विभाग में जमा कर दिया गया था ।

5- यहकि शपथपत्र का पैरा- 1 ता 4 तक में दी गयी बातें मेरी व्यक्तिगत - जानकारी से सही व सच है। इसमें कोई बात छिपाई नहीं गयी है।अतः परमेश्वर मेरी मदद करे ।

स्थान- गोरखपुर ।

दिनांक- 7-04-2025

शपथकर्ता

महबूब सईद

(महबूब सईद)

Attested by S P Mishra Notary Magisstrate